नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2015

भाग—एक

1 **(क) प्रारम्भिकः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1—376/81—फिन(एल0ए0) —खण्ड—पार्ट दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नियन्त्रक अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहेः—

अवधि	अध्यक्ष का नाम	सचिव/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
1.4.10 से 28.1.11 तक	श्री सतीश कुमार कश्यप	श्री पुरूषोतम चौधरी, कार्यकारी अधिकारी
29.1.11 से 24.8.11 तक	श्रीमति सीमा शर्मा	श्री पुरूषोतम चौधरी, कार्यकारी अधिकारी
25.8.11 से 11.2.11 तक	श्रीमति सीमा शर्मा	श्रीमति कंचन बाला
12.2.13 से 18.3.2013 तक	श्रीमति सीमा शर्मा	रिक्त
19.3.13 से 3.7.13 तक	श्रीमति सीमा शर्मा	श्री पुरूषोतम चौधरी, कार्यकारी अधिकारी
4.7.13 से 1.8.13 तक	श्रीमति सीमा शर्मा	रिक्त
2.8.13 से 24.11.13 तक	श्रीमति सीमा शर्मा	श्री बी0आर0 नेगी, कार्यकारी अधिकारी
25.11.13 से 24.9.14 तक	श्रीमति सीमा शर्मा	श्रीमति कंचन बाला
25.9.14 से 31.10.14 तक	श्रीमति सीमा शर्मा	रिक्त
1.11.14 से 31.3.15 तक	श्रीमति सीमा शर्मा	श्री जी0एम0 सकलानी, तहसीलदार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

क्र0 सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1.	अनुदान की धनराशि व्यय/उपयोग हेतु शेष	5.1	28.94
2.	अनुदान में से वेतन व मजदूरी पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय करना	5.2	4.28
3.	अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना	5.3	111.68
4.	गृह कर की राशि वसूली हेतु शेष	9	33.98

5.	गृहकर की बकाया देय राशि में अन्तर को स्पष्ट न करना	9.1	8.28
6.	सरकार के निर्देशानुसार गृह कर की दर में वृद्धि न करने के कारण वित्तीय हानि	9.4	25.44
7.	दुकानों के देय किराए की वसूली हेतु शेष राशि	10	2.74
8.	दुकानों के देय किराए के आरम्भिक शेष में अन्तर को स्पष्ट न करना	10.1	1.81
9.	मोबाइल टॉवर शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष	14	0.42
10.	नगर पंचायत द्वारा स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से अधिक व्यय करना	15	92.21
11.	दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमानों में गलत ग्रेड पे प्रदान करके वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन भतों तथा पेंशन व सेवानिवृति लाभों का अधिक भुगतान	18	0.65
12.	कर्मचारियों को वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान	19	0.24
13.	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान	20	1.23
14.	ठेकेदारा के निर्माण काय बिलों से श्रमकर की कटौती न करना	21	0.12
15.	वेतन व भत्तों की बकाया राशि का भुगतान पूर्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित आहरण विवरणी प्राप्त किए बिना ही करना	29	1.17
16.	बिजली के बिलों पर विविध शुल्क का अनियमित भुगतान	33.1	0.53
17.	सेवानिवृति उपदान की राशि का पेंशन व उपदान निधि की अपेक्षा पंचायत निधि से अनियमित भुगतान	35	1.77
18.	अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को प्रत्यपर्णीय अग्रिमो का अनियमित अहरण व भुगतान	37	1.45
19.	सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बगैर अनियमित भुगतान एवं भुगतान की राशि को रोकड़ वही में दर्ज न करना	38	12.23

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** तक पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर पंचायत अर्की, के अवधि 04/2010 से 03/2015 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण दिनांक 8.9.2015 से 7.11.2015 तक श्री हेम राज भारद्वाज, सहायक नियंत्रक व श्री वीरेंद्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा नगर पंचायत अर्की स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 2/11, 3/12, 3/13, 4/13, तथा 3/15 एवं व्यय के लिए 6/10, 2/12, 10/12, 3/14 तथा 11/14 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत कार्यालय अर्की द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

अवधि 4/2010 से 3/2015 तक के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का शुल्क ₹62000/– आंका गया जिसे रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु सचिव, नगर पंचायत अर्की, से सहायक नियंत्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 154/2015 दिनांक 3.11.2015 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क ₹62000, पंजाब नेशनल बैंक अर्की, के डिमांड ड्राफ्ट संख्याः UOM 579528 दिनांक 5.11.2015 के माध्यम से पंजीकृत पंत्र संख्याः NPA/Audit fee/2015,–1048 दिनांक 7.1.2015 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–9 को भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :–

नगर पंचायत अर्की, के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2010 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है। (परिशिष्ट–"ख" क अनुसार)

वित्तीय वर्ष	लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष ₹	आय/प्राप्तियां ₹	कुल योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2010–11	स्वतः स्त्रोत	2005969.64	1348305.00	3354274.64	1835376.00	1518898.64
	अनुदान	0.00	3975671.00	3975671.00	3296768.00	678903.00
	पेंशन निधि	863498.00	141372.00	1004870.00	83083.00	921787.00
	कुल जोड़	**2869467.**	**5465348.00**	**8334815.64**	**5215227.**	**3119588.**

		64			**00**	**64**
2011–12	स्वतः स्त्रोत	1518898.64	1434098.00	2952996.64	1271228.00	1681768.64
	अनुदान	678903.00	9536559.23	10215462.23	4735317.00	5480145.23
	पेंशन निधि	921787.00	250068.00	1171855.00	206951.00	964904.00
	कुल जोड़	**3119588.64**	**11220725.23**	**14340313.87**	**6213496.00**	**8126817.87**
2012–13	स्वतः स्त्रोत	1681768.64	2717335.00	4399103.64	1966883.77	2432219.87
	अनुदान	5480145.23	4535284.00	10015429.23	4890429.23	5125000.00
	पेंशन निधि	964904.00	337506.00	1302410.00	414469.00	887941.00
	कुल जोड़	**8126817.87**	**7590125.00**	**15716942.87**	**7271782.00**	**8445160.87**
2013–14	स्वतः स्त्रोत	2432219.87	2059952.00	4492171.87	1529567.70	2962604.17
	अनुदान	5125000.00	4950799.00	10075799.00	7778407.00	2297392.00
	पेंशन निधि	887941.00	304325.00	1192266.00	350196.00	842070.00
	कुल जोड़	**8445160.87**	**7315076.00**	**15760236.87**	**9658170.70**	**6102066.17**
2014–15	स्वतः स्त्रोत	2962604.17	1959616.38	4922220.55	1998510.40	2923710.15
	अनुदान	2297392.00	7395864.00	9693256.00	6798865.00	2894391.00
	पेंशन निधि	842070.00	266721.00	1108791.00	331412.00	777379.00
	कुल जोड़	**6102066.17**	**9622201.38**	**15724267.55**	**9128787.40**	**6595480.15**

4.1 दिनांक 31.3.2015 को हस्तगत रोकड़/सावधि जमा/बैंक खातों के अनुसार शेष (परिशिष्ट–"ख" क अनुसार :–)

1	Cash/Cheques in hand	Nil
2	TDRs in Bank	Nil
3	SBOP Saving A/C No. 55136118262 (Municipal Fund)	2141417.32
4	PNB Saving A/C No. 6518000100012763 (Municipal Fund)	3198391.90
5	UCO Bank Saving A/C No. 03920100009843 (Municipal Fund)	100517.83
6	Jogindra Central Coop Bank Saving A/C No. 100134001000558 (Old 9831) (Social walfare Deptt Grant)	3697.00
7	Municipal Fund Jogindra Central Coop Bank Saving A/C No. 100134001004625 (Old 4688)	371231.00
8	Jogindra Central Coop Bank Saving A/C No. 100134001003752 (Old 4647) (Pensions Gratuity)	777379.00
9	Post Office Saving A/C Works	1523.00
		₹6594157.55

दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ वही के अनुसार शेष	₹6595480
दिनांक 31.3.2015 को हस्तगत रोकड़/सावधिक जमा/बैंक खातों के अनुसार शेष	₹6594157.55
दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति एवं बैंक खातों में दर्शाए गए शेषों में अन्तर (₹6595480–₹6594157)	₹1322.60

4.2 बैंक समाधान विवरण दिनांक 31.3.2015 को

Particulars	Amount ₹	Amount ₹
Closing Balance as per cash Book/Financial Position as on 31.3.2015	0	6595480.15
Add Excess Credit by SBOP on 22.5.2013	6	
Add Difference as per BRS of Previous Audit Report 4/2007 to 3/2010	1.40	7.40
Less income deposited but realized by the bank on 2.4.2015		6595487
UCO Bank Ch. No. 731033 Dated 9.3.2015		1330
Closing balance in Banks & Cash in hand		**₹6594157**

4.3 बिना लेन–देन वाले बैंक बचत खातों को जारी रखने का औचित्य स्पष्ट न करना

उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक अर्की, के बचत खाता संख्या 100134001000558 (Old 9831) में दिनांक 19.5.2010 के उपरान्त छह माही ब्याज के अतिरिक्त अन्य कोई भी वित्तीय लेन–देन नहीं हुआ है तथा इस बचत खाते में दिनांक 31.3.2015 ₹3697 अन्तिम शेष में अनुपयुक्त पड़े थे, जिससे यह बचत खाता निष्क्रिय सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार डाकघर बचत खाते में भी दिनांक 31.3.2015 को ₹1523.50 अन्तिम शेष में अनुपयुक्त पड़े थे। जोकि पूर्व अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2010 से शेष चले आ रहे हैं, न तो वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान इसमें कोई वित्तीय लेन–देन ही हुआ है और न ही इस खाते की पास बुक को अद्यतन किया गया है, जिससे यह बचत खाता भी निष्क्रिय प्रतीत होता है। अतः इन बचत खातों को बिना वित्तीय लेन–देन के जारी रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को बन्द करके इनमें जमा पड़ी अनुपयुक्त राशि को नगर पंचायत के अन्य बचत खाते में हस्तांतरण करवाकर सदुपयोग किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 बैंक द्वारा प्रदान ₹25700 की जमा राशियों की प्राप्ति का स्त्रोत व प्रकृति का विवरण अंकेक्षण को स्पष्ट न करना

रोकड वही के योग व बैंक समाधान सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार बैंक द्वारा प्रदान ₹25700 की जमा राशियों की प्राप्ति का स्त्रोत व प्रकृति का विवरण न तो रोकड़ वही में ही वर्णित था और न ही नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया, जिसकी अनुपस्थिति में वर्णित प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः इन प्राप्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण/अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**बैंक नाम/खाता सं0**	**दिनांक**	**जमा राशि ₹**
1	यूको बैंक	1.8.2011	100
2	यूको बैंक	2.11.2011	2000
3	यूको बैंक	3.12.2011	1000
4	यूको बैंक	11.9.2011	2000
5	यूको बैंक	3.11.2012	4000
6	यूको बैंक	3.12.2012	2000
7	यूको बैंक	1.1.2013	2000
8		5.12.2012	12600
		कुल जोड़	**₹25700**

5. अनुदानः—

सचिव नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—"ग"** के माध्यम से अंकेक्षण को अवधि 4/2010 से 3/2015 के दौरान अनुदान की प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः—

5.1 अनुदान की धनराशि ₹28.94 लाख 31.3.2015 को व्यय/उपयोग हेतु शेष

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट—"ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 ₹2894391 की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों को निर्धारित समय के अन्दर सक्षम प्राधिकारी से उपयोग की समय बढौतरी प्राप्त कर उन्हीं उद्धेश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिस उद्धेश्य हेतु इन्हे स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उचित समय के अन्दर जारी करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.2 अनुदान में से ₹4.28 लाख की राशि वेतन व मजदूरी पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक
व्यय करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि शीर्ष 13th FC के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान राशि का केवल 20% भाग ही वेतन व मजदूरी पर व्यय किया जा सकता था, किन्तु इस सम्बन्ध में परिशिष्ट संख्याः (घ) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक शीर्ष 13th FC के अन्तर्गत प्राप्त कुल अनुदान राशि में से निर्धारित मापदण्ड 20% से अधिक ₹428261 वेतन व मजदूरी पर व्यय किया गया था, जोकि अनुदान उपयोग सम्बन्धी सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता को या तो सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा शीर्ष 13th FC के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की भरपाई सम्बन्धित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	शीर्ष 13th FC के अन्तर्गत प्राप्त कुल अनुदान की राशि ₹	निर्धारित मापदण्ड 20% की दर से जो व्यय वेतन व मजदूरी पर किया जाना चाहिए था ₹	वेतन व मजदूरी पर व्यय किया गया ₹	निर्धारित मापदण्ड 20% से अधिक वेतन व मजदूरो पर किया गया व्यय ₹
2010–11	421900	84380	126570	42190(10%)
2011–12	730606	146121	219180	73059(10%)
2012–13	606400	121280	181920	60640(10%)
2013–14	1323400	264680	397020	132340(10%)
2014–15	1200329	240066	360098	120032(10%)
			कुल जोड़	**₹428261(10%)**

5.3 ₹111.68 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 4/2010 से 3/2015 के दौरान ₹11167959 के अनुदान से व्यय की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित ही नहीं किए गए थे। वर्णित अभिलेख के अभाव में अनुदान से व्यय की गई राशियों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए जाने के साथ–साथ जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्र की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

5.4 अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2015 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. निवशः–

अंकेक्षण अवधि के अन्त में विभिन्न खातों में निवेशित/जमा राशि का विवरण **परिशिष्ट–"ख"** में दिया गया है, जिसके अवलोकन पर विदित होता है कि रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न बैंकों में रखे गए बचत खातों में ₹65.94 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी। इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इतनी बड़ी राशि को बचत खाते में जमा रखने की अपेक्षा, पंचायत की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अल्प व दीर्घकालिक सावधिक जमा में निवेशित करने की सम्भावना को तलाशा जाए, ताकि पंचायत की विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

7. दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता वहियों का रख–रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता वहियों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि0प्र0 द्वारा दिनांक 1.4.2009 से दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख–रखाव करने के निर्देश दिए गए थे। वर्णित निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण जहां निदेशक के आदेशों की उल्लंघना हो रही है, वहीं किस मद से कितनी आय प्राप्त हुई और किस मद पर कितना खर्च हुआ तथा खर्च की राशि अनुमोदित बजट प्रावधान से अधिक तो नहीं या अनुदान से प्राप्त राशि का उसी उद्धेश्य हेतु व प्राप्त अनुदान की राशि की सीमा तक ही व्यय किया गया है या नहीं इत्यादि तथ्यों/सूचना की भी पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख की तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित रजिस्टर/अभिलेख का भी नगर पंचायत द्वारा रख–रखाव नहीं किया जा रहा थाः–

1. कांट्रेक्टर लैजर
2. सामान्य भविष्य निधि/अंशदाई पेंशन योजना की रोकड़ वहियां/खाता वहियां
3. पेंशन भुगतान रजिस्टर (PCR)
4. स्थापना चैक रजिस्टर (ECR)
5. बिजली उपकरण मांग व संग्रहण रजिस्टर
6. मदिरा शुल्क मांग व संग्रहण रजिस्टर

8. रोकड़ वही का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करनाः–

हि0प्र0 म्यूनिसिपल लेखा संहिता के अध्याय–III के पैरा 19(3) के अनुसार रोकड़ वही अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था, किन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जोकि उक्त वर्णित प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इसके अतिरिक्त अवधि 4/2010 से 3/2013 तक रोकड़ वही के शेष को प्रत्येक माह के अन्त में बैंक खातों के शेष से मिलान भी नहीं किया गया था तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस अनियमितता का पैरा संख्याः 4.5 में उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिंता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ वही को लेखा संहिता के प्रावधानानुसार सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. गृह कर की राशि ₹33.98 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"ङ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार गृह कर की राशि ₹3397946 दिनांक 31.3.2015 को वसूली हेतु शेष थी, जोकि एक गम्भीर चिंता का विषय है। अतः वर्णित शेष राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाय जान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.1 गृहकर की बकाया देय राशि में ₹8.28 लाख के अन्तर को स्पष्ट न करना

पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली हेतु अन्त शेष की उपलब्ध करवाई गई सूचना भी सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि परिशिष्ट संख्याः **"ङ"** द्वारा उपलब्ध गृहकर की वसूली हेतु राशि की व्यक्तिगत विवरणी अनुसार ₹2569863 की राशि दिनांक 31.3.2015 को शेष थी। इस प्रकार सूचित दोनों शेषों में ₹828083 की राशि का अन्तर था, जिसे अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया तथा जिससे स्पष्ट विदित होता है कि गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण रजिस्टर/अभिलेख का सही ढंग से अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था। अतः अब इस अन्तर को विभागीय स्तर पर स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण व अद्यतन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

9.2 नियमों के प्रतिकूल 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल की छ्ट प्रदान कर गृहकर का निर्धारण/वसूली करने के कारण वित्तीय हानि

गृहकर निर्धारण/वसूली के चयनित प्रकरणों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा भवन मालिकों से 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल की छट प्रदान कर गृहकर का निर्धारण/वसूली की गई थी, जोकि अनियमित है, क्यौंकि वर्णित छट से सम्बन्धित नियमों की धारा 2(1) में प्रावधान को The HP Municipality (Amendment) Act, 2011 (Act 33 of 2011), जोकि हि0प्र0 सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक

2.8.2011 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा समाप्त कर दिया गया है तथा जिस संशोधन को सभी कार्यकारी अधिकारी/सचिवों को यथानुसार लागू करने हेतु निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः ULB-H(A)(3)-9/86-III-17741-17788 दिनाक 1.9.2011 द्वारा परिचालित किया गया था तथा अधिसूचना संख्याः UD-A(3)5/2010 दिनाक 16.2.2012 के अनुसार इसे दिनांक 20.2.2012 से लागू किया जाना था। अतः दिनांक 20.2.2012 से सभी भवन मालिकों से क्षेत्रफल में कोई भी छट प्रदान किए बिना गृहकर का निर्धारण/वसूली की जानी अपेक्षित थी। ऐसा न करके जहां नियमों की अवहेलना की गई, वहीं नगर पंचायत को आय के रूप में लगातार वित्तीय हानि भी हो रही है। अतः नियमों के प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा भवन मालिकों से 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल की छट प्रदान कर गृहकर का निर्धारण/वसूली करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा नियमानुसार गृहकर का पुननिर्धारण करके गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख का यथानुसार अद्यतन करते हुए देय गृहकर की बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 गृहकर दाताओं को 10% छ्ट प्रदान करने के कारण नगर पंचायत को आय के रूप में

वित्तीय हानि

गृहकर निर्धारण/वसूली के चयनित प्रकरणों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा गृहकर दाताओं को गृहकर की राशि नियत समय पर जमा करवाने पर 10% राशि की छट प्रदान की गई थी, जैसा कि परिशिष्ट संख्याः **"च"** पर उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत कुछ प्रकरणों से स्पष्ट विदित होता है, किन्तु निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः ULB-H(C)(9)-I दिनांक 8.9.1998 द्वारा परिचालित सम्बन्धित नियमों के प्रावधानों व दिशा–निर्देशों में गृहकर में ऐसी छट प्रदान करने का कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं है तथा नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर ऐसी छूट प्रदान करना जहां, अनियमित प्रतीत होता है, वहीं इस छूट के कारण नगर पंचायत को आय के रूप में वित्तीय हानि भी हुई है। अतः नियमों के प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा गृहकर दाताओं को गृहकर में 10% छट प्रदान करने को या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा सभी प्रकरणों में गृहकर में प्रदान की गई छट की राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.4 सरकार के निर्देशानुसार गृहकर की दर में वृद्धि न करने के कारण ₹25.44 लाख की वित्तीय हानि

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UDH©(10)-7/98-II दिनांक 17.11.2003 के अनुसार अवधि 2002–03 में 7.5% की दर से गृह कर लगाकर इसमे प्रति वर्ष 1% की वृद्धि करके अवधि 2006–07 तक गृहकर की दर को 12.5% किया जाना अपेक्षित था, किन्तु नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार कोई वृद्धि नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप पंचायत को निम्न विवरणानुसार

₹2544148 की गृहकर की हानि हुई। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2010 तक के पैरा 6.5 द्वारा भी परामर्श दिया गया था, किन्तु उसके बावजूद भी सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही अम्ल में न लाना गम्भीर अनियमितता है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	**7.5% की दर से गृहकर की मांग की राशि ₹**	**12.5% की दर से गृहकर की अपेक्षित मांग की राशि ₹**	**अन्तर ₹**
2010–11	741103	1235172	494069
2011–12	728223	1213705	485482
2012–13	729213	1215355	486142
2013–14	837971	1396618	558647
2014–15	779712	1299520	519808
कुल जोड़	**₹3816222**	**₹6360370**	**₹2544148**

10. दिनांक 31.3.2015 तक दुकानों के देय किराए की राशि ₹2.74 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण को परिशिष्ट संख्याः छ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार ₹274158 दिनांक 31.3.2015 तक दुकानों के देय किराए की वसूली हेतु शेष थी, इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाय जान सुनिश्चित किय जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.1 दुकानों के देय किराए के आरम्भिक शेष में राशि ₹1.81 लाख के अन्तर को स्पष्ट न करना

अंकेक्षण को परिशिष्ट संख्या छ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 1.4.2010 को दुकानों के देय किराए की वसूली हेतु आरम्भिक शेष की राशि ₹213293 दर्शाई गई थी, जबकि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010 तक पैरा संख्याः 6 के अनुसार दिनांक 31.3.2010 को दुकानों के देय किराए की वसूली हेतु अन्तिम शेष ₹394242 था। इस प्रकार अन्तिम व आरम्भिक शेष में ₹180949 की राशि का अन्तर था। जोकि अनियमित है तथा जिसे अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। अतः अब इस अन्तर को विभागीय स्तर पर स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अभिलेख का अद्यतन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

10.2 अनुबन्ध में देय किराये की राशि को विलम्ब से जमा करवाने का दण्ड शुल्क का प्रावधान न करना

दुकानों के किराये से सम्बन्धित चयनित प्रकरणों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अधिकतर प्रकरणों में किरायेदारों द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह देय किराया जमा करवाने की अपेक्षा विलम्ब से एक मुश्त राशि के रूप से अपनी सुविधानुसार जमा करवाया गया था तथा किरायेदार से हुए अनबन्ध में देय किराये की राशि को विलम्ब से जमा करवाने पर दण्ड शुल्क का कोई प्रावधान नहीं था, जिसके आभाव में किरायदारों पर देय किराया नियमित रूप से प्रतिमाह जमा करवाने का कोई दबाव नहीं रहता। इस कमी के कारण जहां देय किराये की वसूली हेतु बकाया राशि बढ़ती रहती है, वहीं पंचायत की वित्तीय स्थिति व विकास गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। अतः इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि किरायेदार से हुए अनुबन्ध में देय किराये की राशि को विलम्ब से जमा करवाने पर दण्ड शुल्क का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि किरायदारों पर देय किराया नियमित रूप से प्रतिमाह समय पर जमा करवाने का दवाब बना रहे तथा पंचायत की वित्तीय स्थिति व विकास गतिविधियां भी प्रभावित न हो और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. वित्तीय वर्ष 2014–15 के देय बिजली उपकर की राशि वसूली हेतु शेष व प्राप्त बिजली उपकर से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करना

हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG(B)(1)-9/94 दिनांक 8.11.1999 एवं हि0प्र0 म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर पंचायत को भुगतान किया जाना प्रावधित है। इस प्रावधान के अनुसार परिशिष्ट संख्या : **"घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार पंचायत को अवधि 1.4.2007 से 31.3.2014 तक कुल ₹91336 की राशि का बिजली उपकर बिजली बोर्ड से प्राप्त हुआ था, परन्तु वर्षवार खपत की गई बिजली से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/आंकड़े अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में प्राप्त आय की सत्यापना नहीं की जा सकी। साथ ही नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपरोक्त सूचना से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पंचायत को वित्तीय वर्ष 2014–15 से सम्बन्धित देय बिजली उपकर बिजली बोर्ड से प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से शेष राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामो अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12 व 2014–15 के देय मदिरा शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष व प्राप्त मदिरा शुल्क से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करना

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार **परिशिष्ट–"घ"** अंकेक्षण अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर पंचायत परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2015 तक ₹438049 की आय प्राप्त हुई थी। नगर पंचायत परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में प्राप्त उपरोक्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। साथ ही नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपरोक्त सूचना से यह भी स्पष्ट हा जाता है कि पंचायत को वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12 व 2014–15 से सम्बन्धित शराब उपकर की राशि आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त नहीं हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति बारे उचित अभिलेख का संरक्षण न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में कुछ अवधि का बिजली उपकर व शराब उपकर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। साथ ही सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा मांग व प्राप्तियों के सम्बन्धित अभिलेख का संरक्षण भी नहीं किया गया था, जिसके अभाव में इन प्राप्तियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकती। जैसे कि निर्धारित दर स कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अपेक्षित अभिलेख के संरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में उचित अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. मोबाइल टॉवर शुल्क राशि ₹0.42 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण को परिशिष्ट संख्या : **"ज"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2015 को मोबाइल टॉवर शुल्क राशि ₹41500 वसूली हेतु शेष थी, जोकि एक गम्भीर चिंता का विषय है। इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. नगर पंचायत द्वारा स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से ₹92.21 लाख की राशि का अधिक व्यय करनाः–

Municipality Act, 1994 की धारा 53(1) एवं इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा दिनांक 26.6.2001 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार नगरपालिकाओं के स्थापना व्यय को नियन्त्रण में

रखने हेतु प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार नगरपालिकाओं के लिए स्थापना पर व्यय उनके कुल खर्च के एक तिहाई भाग (1/3) से अधिक नहीं होना चाहिए। अंकेक्षण अवधि के दारान सचिव द्वारा परिशिष्ट संख्याः **"घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्थापना पर व्यय निर्धारित सीमा से कहीं अधिक किया गया था, जिसका विवरण निम्न हैः–

वित्तीय वर्ष	**कुल व्यय ₹**	**निर्धारित सीमा 1/3 अनुसार व्यय जो स्थापना पर किया जाना चाहिए था ₹**	**स्थापना पर किया गया वास्तविक व्यय ₹**	**स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक किया गया व्यय ₹/%**
2010–11	5215227	1738409	2777764	1039355(19.93%)
2011–12	6213496	2071165	4122369	2051204(33.01%)
2012–13	7271782	2423927	4784898	2360971(32.47%)
2013–14	9658170	3219390	4897598	1678208(17.38%)
2014–15	9128787	3042929	5134095	2091166(22.91%)
कुल जोड़	**₹37487462**	**₹12495820**	**₹21716724**	**₹9220904(24.60)**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत द्वारा वर्णित नियमों व दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल ₹9220904 अर्थात 24.60% की राशि स्थापना पर अनियमित रूप से अधिक व्यय की गई थी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में स्थापना पर व्यय वर्णित नियमों व दिशा–निर्देशों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. अंशदाई पेंशन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का पेंशन/ग्रेच्युटी अंशदान ₹2112 को नगर पंचायत निधि से पेंशन व उपदान निधि में जमा करने सम्बन्धी अनियमितता (वाउचर संख्याः 14 (IV)of 6/2010=32075):–

H.P Municipality Employees (Pension, Gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम, 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पेंशन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-II(130/10)7/2000 दिनांक 20.12.2003 द्वारा जारी अनुदेशानुसार नगरपालिका द्वारा उक्त वर्णित अभिदान कुल स्वीकृत पदों, चाहे भरी हो या खाली हो, का जमा करवाया गया था, जिसमें अंशदाई पेंशन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी भी शामिल थे। चूंकि नगरपालिका द्वारा नगरपालिका निधि से अंशदाई

पेंशन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का अंशदान अंशदाई पेंशन योजना (CPS) निधि से अलग से जमा करवाया गया था तथा इन कर्मचारियों को पेंशन एवं उपदान का लाभ भी नियमानुसार देय नहीं है, इसलिए नियमों की सही भावना के दृष्टिगत अंशदाई पेंशन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पेंशन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस कारण निम्न विवरणानुसार चयनित माह में नगरपालिका निधि से पेंशन एवं उपदान निधि में ₹2112 का अधिक भुगतान किया गया। अतः यह मामला उच्च सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार उचित समाधान करने हेतु लाया जाता है।

(क) CPS कर्मचारियों जिनका ग्रेच्युटी अभिदान जमा किया गया

कर्मचारी का नाम व पदनाम	पे बैंड+ग्रेड पे ₹	अवधि	12%/5% की दर से अधिक जमा की गई पेंशन/ग्रेच्युटी अभिदान की राशि (पे बैंड का अधिकतम x12%/5%)			अभिदान की कुल अधिक जमा राशि ₹
Sh. Suresh Kumar, Sweeper	2520–4140(Rev.) 4900–10680	6/2010	497	207	704	704
Smt. Leela Devi, Beldar	2520–4140(Rev.) 4900–10680	6/2010	497	207	704	704
Sh. Ramesh Chand, Beldar	2520–4140(Rev.) 4900–10680	6/2010	497	207	704	704
		कुल जोड़		**₹1491**	**₹621**	**₹2112**

17. वेतन से अंशदाई पेंशन योजना (CPS) अभिदान व नियोक्ता का समतुल्य हिस्से की राशि ₹0.29 लाख की कम कटौती करना

वेतन बिलों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों का अंशदाई पेंशन योजना (CPS) हेतु अभिदान नियमानुसार वेतन के 10% देय राशि से कम काटा गया था, जोकि अनियमित है। विस्तृत लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन पर विदित हुआ कि निम्न विवरणानुसार इन कर्मचारियों से ₹14430 और समतुल्य हिस्सा नियोक्ता से अर्थात कुल ₹28860 की राशि के अभिदान व अंशदान की कटौती कम की गई थी, जिसे अब नियमानुसार माहवार एक समान किस्तों में नियमित कटौती के अतिरिक्त सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से वसूल करके नियोक्ता के समतुल्य हिस्से सहित अंशदाई पेंशन योजना (CPS) निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमों की सही अनुपालना भी सुनिश्चित की जाए।

क्र	कर्मी का	अवधि	मूल वेतन ग्रेड पे	10% की	वेतन से	कम

0 सं 0	नाम व पद		सहित + महंगाई भत्ता ₹	दर से अभिदान कटौती देय राशि ₹	अभिदान की वास्तविक कटौती ₹	अभिदान कटौती की कुल राशि ₹
1	Sh. Suresh Kumar, Sweeper	1.7.13 to 31.7.13=1M	5910+1650GP =7560+5443 DA(72%)=13003	1300	851	449
		1.8.13 to 28.2.14=7M	6140+1650GP =7790+6232 DA(80%)=14022	1402	779 **Total**	4361 **4810**
			नियोक्ता का समतुल्य हिस्सा ₹			**₹4810**
			जोड़			**₹9620**
2	Sh. Ramesh Kumar, Beldar	1.7.13 to 31.7.13=1M	5910+1650GP =7560+5443 DA(72%)=13003	1300	851	449
		1.8.13 to 28.2.14=7M	6140+1650GP =7790+6232 DA(80%)=14022	1402	779 **Total**	4361 **₹4810**
			नियोक्ता का समतुल्य हिस्सा ₹			**₹4810**
			जोड़			**₹9620**
3	Smt. Leela Devi, Beldar	1.7.13 to 31.7.13=1M	5910+1650GP =7560+5443 DA(72%)=13003	**1300**	**851**	**449**
		1.8.13 to 28.2.14=7M	6140+1650GP =7790+6232 DA(80%)=14022	**1402**	**779** **Total**	**4361** **₹4810**
			नियोक्ता का समतुल्य हिस्सा ₹			**₹4810**
			जोड़			**₹9620**
			कुल योग (1)+(2)+(3)			**₹28860**

18. दिनांक 1.1.2006 से संशोधित वेतनमानों में गलत ग्रेड पे प्रदान करके वेतन निर्धारण करने के कारण ₹0.65 लाख के वेतन व भत्तों तथा पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभों का अधिक भुगतान

सेवानिवृत कर्मचारियों को स्वीकृत सेवा निवृति लाभों के प्रकरणों की सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री जगदीश चंद तनवर दिनांक 31.8.2010 को वरिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत हुए थे। दिनांक 1.1.2006 को अपरिशोधित वेतनमान ₹4020–₹6200 में वे मूल वेतन ₹5640 आहरित कर रहे थे तथा उनकी अगली वार्षिय वेतन वृद्धि की तिथि 1.4.2006 थी (सेवा पुस्तिका पृष्ठ–10 से 13 तक)। उन्हें अपरिशोधित वेतनमान में दिनांक 1.4.2009 को 16 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर ACPS के अन्तर्गत प्रथम PROP का लाभ भी प्रदान किया गया था (सेवा पुस्तिका पृष्ठ–10 से 13 तक)। हि0प्र0 नागरिक सेवा (परिशोधित वेतनमान) नियम, 2009 की अनुसूची के क्रम संख्याः 7 के अनुसार उन्हें पे बड ₹5910–₹20200 व ग्रेड पे ₹2400 व

ग्रेड पे देय बनती थी, किन्तु इसके विपरीत उन्हें ₹2800 की ग्रेड पे प्रदान करते हुए वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान किया गया, जोकि अनियमित है। इस अनियमितता के कारण उन्हें निम्न विवरणानुसार ₹64694 की राशि के वेतन व भत्तों तथा पेंशन व सेवानिवृति लाभों का अधिक भुगतान हुआ है, जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वेतन व पेंशन को नियमानुसार विनियमित करके अधिक भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में सही दर से पेंशन का आहरण एवं भुगतान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18.1 वेतन व भत्तों की ₹0.29 लाख का अधिक भुगतान

अवधि	आहरित वेतन (प्रति माह ₹ में)	देय वेतन (प्रति माह ₹ में)	अन्तर(प्रति माह ₹ में)	महंगाई भत्ता (प्रति माह ₹ में)/दर(%में)	अधिक भुगतान की राशि ₹ में
01.01.06 to 31.03.06=3m	10500+2800 =13300	10500+2400 =12900	400	—	1200
01.04.06 to 30.06.06=3m	10900+2800 =13700	10890+2400 =13290	410	—	1230
01.07.06 to 31.12.06=6m	10900+2800 =13700	10890+2400 =13290	410	8(2%)	2508
01.01.07 to 31.03.07=3m	10900+2800 =13700	10890+2400 =13290	410	25(6%)	1305
01.04.07 to 31.06.07=3m	11320+2800 =14120	11290+2400 =13690	430	26(6%)	1368
01.07.07 to 31.12.07=6m	11320+2800 =14120	11290+2400 =13690	430	39(9%)	2814
01.01.08 to 31.03.08=3m	11320+2800 =14120	11290+2400 =13690	430	52(12%)	1446
01.04.08 to 30.06.08=3m	11750+2800 =14550	11700+2400 =14100	450	54(12%)	1512
01.07.08 to 31.12.06=6m	11750+2800 =14550	11700+2400 =14100	450	72(16%)	3132
01.01.09 to 31.03.09=3m	11750+2800 =14550	11700+2400 =14100	450	99(22%)	1647
01.04.09 to 30.06.09=3m	12640+2800 =15440	12570+2400 =14970	470	103(22%)	1719
01.07.09 to 31.12.09=6m	12640+2800 =15440	12570+2400 =14970	470	127(27%)	3582
01.01.10 to 31.03.10=3m	12640+2800 =15440	13020+2400 =14970	470	165(35%)	1905
01.04.10 to 30.06.10=3m	13110+2800 =15910	13020+2400 =15420	490	172(35%)	1986
01.07.10 to 31.08.10=2m	13110+2800 =15910	13020+2400 =15420	490	221(45%)	1422
				कुल जोड़	**₹28776**

18.2 पेंशन व महंगाई राहत की ₹0.24 लाख का अधिक भुगतान

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-H(B)–1041/10–8929 दिनांक 7.9. 2010 द्वारा जारी PPO संख्या : 932/10–11 के अनुसार उन्हें शुद्ध अहर्क सेवा 17 वर्ष 5 माह तथा अन्तिम आहरित वेतन ₹13110+₹2800=₹15910 के आधार पर ₹7955 प्रतिमाह पेंशन (₹15910x50%) स्वीकृत की गई थी, जबकि वेतन निर्धारण की उक्त वर्णित त्रुटि के कारण ₹7710 की पैंशन (15420x50%) ही देय बनती है। इस अनियमितता के कारण निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹23857 की राशि का अधिक भुगतान किया गया।

अवधि	आहरित पेंशन (प्रतिमाह ₹ में)	देय पेंशन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (प्रतिमाह ₹ में)	महंगाई राहत (प्रति माह ₹ में)/दर(%में)	अधिक भुगतान की राशि (₹में)
01.09.10 to 31.12.10=4m	7955	7710	245	110(45%)	1420
01.01.11 to 30.06.11=6m	7955	7710	245	125(51%)	2220
01.07.11 to 31.12.11=6m	7955	7710	245	142(58%)	2322
01.01.12 to 30.06.12=6m	7955	7710	245	159(65%)	2424
01.07.12 to 31.12.12=6m	7955	7710	245	176(72%)	2526
01.01.13 to 30.06.13=6m	7955	7710	245	196(80%)	2646
01.07.13 to 31.12.13=6m	7955	7710	245	221(90%)	2796
01.01.14 to 30.06.14=6m	7955	7710	245	245(100%)	2940
01.07.14 to 31.03.15=9m	7955	7710	245	262(107%)	4563
				कुल जोड़	**₹23857**

18.3 सेवानिवृति उपदान की ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान (वाउचर संख्याः 140 व 186 दिनांक 3.5.11 व 2.9.11)

निदशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-H(B)–1041/10–8929 दिनांक 7.9.2010 द्वारा जारी PPO संख्या : 932/10–11 के अनुसार उन्हें शुद्ध अहर्क सेवा 17 वर्ष 5 माह तथा अन्तिम आहरित वेतन ₹13110+₹2800=₹15910 के आधार पर ₹176803 का सेवानिवृति उपदान स्वीकृत/भुगतान किया गया था, जबकि वेतन निर्धारण की उक्त वर्णित त्रुटि के कारण ₹171352 का सेवानिवृति उपदान ही देय बनता है। अतः इस अनियमितता के कारण निम्न विवरणानुसार ₹5451 की राशि का अधिक भुगतान किया गया।

वास्तविक भुगतान की राशि (₹ में)	देय राशि (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
Last pay=13110+2800	Last pay=13020+2400	**5451**
DA27%=4296	DA27%=4163	
Total=20206	Total=19583	
Q.S.=17.5Y or 35 half years	Q.S.=17.5Y or 35 half years	
DCRG=20206x35/4=176803	DCRG=19583x35/4=171352	

18.4 अर्जित अवकाश भुनाने की एवज मं ₹6610 की राशि का अधिक भुगतान (वाउचर संख्याः 125 व 150 दिनांक 4.4.11 व 6.6.11)

300 दिनों के अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में निम्न विवरणानुसार उन्हें ₹6610 का अधिक भुगतान किया गया।

वास्तविक भुगतान की राशि (₹ में)	देय राशि (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
Last pay=13110+2800	Last pay=13020+2400	**6610**
DA35%=5568	DA35%=5397	
Total=21478x300/30=214780	Total=20817x300/30=208170	

19. कर्मचारियों को वेतन व भत्तों की राशि ₹0.24 लाख का अधिक भुगतान

19.1 वेतन निर्धारण उपरान्त अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के गलत नियतन/आहरण के कारण वेतन व भत्तों की राशि ₹0.09 लाख का अनियमित भुगतान

श्री राम कर्ण, लिपिक दिनांक 1.10.2012 को पे–बैंड ₹5910–₹20200 में ₹6400 मूल वेतन +₹1900 ग्रेड पे=₹8300 आहरण कर रहे थे तथा उनकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक 1.7.2013 थी (सेवा पुस्तिका पृष्ठ संख्या–3 व 4)। दिनांक 1.10.2012 में दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर लिपिक पद के लागू संशोधित वेतनमान ₹10300–₹34800–₹3200 ग्रेड पे में इनका वेतन न्यूनतम वेतन के स्तर ₹10300+₹3200 ग्रेड पे=₹13500 पर निर्धारित किया गया जो सहो था, किन्तु अगली देय वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1.7.2013 को ही आहरति की गई जो सही नहीं थी (सेवा पुस्तिका पृष्ठ संख्या–5 व 6) क्योंकि नियमानुसार यह 12 माह बाद दिनांक 1.10.2013 को देय बनती थी, जैसा कि वित्त विभाग हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः Fin(PR)B(7)64/2010-Loose दिनांक 24.9.2012 द्वारा अधिसूचित Himachal Pradesh Civil Services (Category /Post-wise Revised Pay Rules, 2012 के नियम 7 की Proviso द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि “Provided that the next increment of a Government employee whose pay is fixed at the minimum of the respective pay band, shall be granted after completion of qualifying service of 12 months in that pay band. ” अतः उक्त वर्णित अनियमितता के कारण उन्हें निम्न विवरणानुसार 30.9.2015 तक ₹8525 की राशि के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया जा चुका

था, जिसकी नियमानुसार पूर्ण छानबीन करके निर्धारित वेतन में यथानुसार संशोधन किया जाए और अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹ में)	महंगाई भत्ता (₹ में) / दर(%में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
1.7.13 to 30.9.13=3m	10710+3200 =13910	10300+3200 =13500	410	369(90%)	2337
1.7.14 to 30.9.14=3m	11130+3200 =14760	10710+3200 =13910	420	449(107%)	2607
1.7.15 to 30.9.15=3m	11560+3200 =14760	11130+3200 =14330	430	460(107%)	2670
HRA 1.7.13 to 30.9.13=3m	400	350	50	–	150
		जोड़			**₹7764**
	CPS 10% अंशदान (नियोक्ता का हिस्सा)				**₹761**
		कुल जोड़			**₹8525**

19.2 नियमानुसार देय दर की अपेक्षा उच्च दर से वेतन आहरण के कारण वेतन की ₹0.12 लाख का अनियमित भुगतान

श्री सुशील कुमार कनिष्ठ अभियंता के पद पर अनुबन्ध पर कार्यरत थे तथा दिनांक 3.11.2014 से उन्हें इस पद पर नियमित तौर से नियुक्त किया गया था। वेतन बिलों का विस्तृत अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 1.12.2009 से लागू संशोधित वेतनमान ₹10300–34800+₹3800 ग्रेड पे में उन्हें ₹14590 का न्यूनतम वेतन प्रदान किया गया था, जबकि नियमानुसार उन्हें ₹10300+₹3800=₹14100 का न्यूनतम वेतन देय बनता था। इस प्रकार उन्हें ₹490 प्रतिमाह की दर से वेतन का अधिक भुगतान किया गया था। इस अनियमितता के कारण उन्हें दिनाक 31.3.2010 तक किए गए अधिक भुगतान की राशि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010 तक के पैरा–9.4 द्वारा पहल ही Point out की गई थी, जबकि वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान उन्हें निम्न विवरणानुसार ₹11760 के वेतन का अधिक भुगतान हुआ है, जिसकी सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चि करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
1.4.10 to 31.3.12=24m	14590	14100	490	**₹11760**

19.3 गलत दर से वेतन/भत्ते आहरण करने के कारण वेतन व भत्तों की राशि ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान

वतन व्यय का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित कर्मचारियों को देय वेतन की अपेक्षा उच्च दर से वेतन आहरण करने के कारण ₹3652 की राशि के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका पूर्ण छानबीन करके नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) श्री राजिंदर कुमार, सफाइ कर्मचारी

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
1.7.10 to 31.12.10 =6m	7411+1400GP =8811	7230+1400GP =8630	181+81DA(45%) =262	**1572**
1.1.11 to 31.1.11 =1m	7411+1400GP =8811	7230+1400GP =8630	181+92DA(51%) =273	**273**
		कुल जोड़		**₹1845**

(ii) श्री शशि कान्त ठाकुर, सफाई पर्यवेक्षक

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
1.1.10 to 30.6.10 =6m	11110+2000GP =13110	11100+1950GP =13050	60+21DA(35%) =81	486
1.7.10 to 31.10.10 =4m	11110+2000GP =13110	11100+1950GP =13050	60+27DA(45%) =87	348
1.11.10 to 31.12.10 =2m	11510+2000GP =13510	11500+1950GP =13450	60+27DA(45%) =87	174
1.1.11 to 31.1.11 =1m	11510+2000GP =13510	11500+1950GP =13450	60+31DA(51%) =91	91
1.2.11 to 30.6.11 =5m	11510+1950GP =13460	11500+1950GP =13450	10+5DA(51%) =15	75
1.7.11 to 31.10.11 =4m	11510+1950GP =13460	11500+1950GP =13450	10+6DA(58%) =16	64
1.11.11 to 31.12.11 =2m	11920+1950GP =13870	11910+1950GP =13860	10+6DA(58%) =16	32
1.1.12 to 30.6.12 =6m	11920+1950GP =13870	11910+1950GP =13860	10+7DA(65%) =17	102
1.7.12 to 31.10.12 =4m	11920+1950GP =13870	11910+1950GP =13860	10+7DA(72%) =17	68
1.11.12 to 31.12.12 =2m	12340+1950GP =14290	12330+1950GP =14280	10+7DA(72%) =17	34
1.1.13 to	12340+1950GP	12330+1950GP	10+8DA(80%)	108

30.6.13 =6m	=14290	=14280	=18	
1.7.13 to 31.10.13 =4m	12340+1950GP =14290	12330+1950GP =14280	10+9DA(90%) =19	76
1.11.13 to 31.12.13 =2m	12670+1950GP =14620	12760+1950GP =14710	90+81DA(90%) =171	(–)342
1.1.14 to 30.6.14 =6m	12770+1950GP =14720	12760+1950GP =14710	10+10DA(100 %) =20	120
1.7.14 to 31.10.14 =4m	12770+1950GP =14720	12760+1950GP =14710	10+11DA(107 %) =21	84
1.11.14 to 30.9.15 =11m	13220+1950GP =15170	13210+1950GP =15160	10+11DA(107 %) =21	231
			कुल जोड़	**₹1751**

(iii) श्री जगदीश चंद तनवर, वरिष्ठ लिपिक (सेवानिवृत)

अवधि	मूल वेतन (अपरिशोधित प्रतिमाह ₹ में)	आहरित मकान किराया भत्ता (प्रतिमाह ₹ में)	देय मकान किया भत्ता (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
1.1.10 to 31.3.10 =3m	6600	232	225	**7**	21
1.4.10 to 31.8.10 =5m	6800	232	225	**7**	35
				कुल जोड़	**₹56**

19.4 वेतन बिल में योग की त्रुटि के कारण ₹200 की राशि के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

निम्न वर्णित कर्मचारियों को वेतन बिल में योग की त्रुटि के कारण ₹200 की राशि के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

कर्मचारी का नाम	वा0 सं0 /माह	कुल वेतन भुगतान की राशि (₹ में)	कुल देय वेतन का योग (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
श्रीमति लीला देवी, बेलदार	1 of 3/14	14712	14612	100
श्री रमेश कुमार, बेलदार	1 of 3/14	14712	14612	100
			कुल जोड़	**₹200**

19.5 श्री रमेश कुमार, बेलदार को गलत गणना के कारण ₹23 की महंगाई भत्ते की राशि का अधिक भुगतान (वाउचर संख्याः 27 व दिनांक 18.3.2014=₹74884 व ₹45117)

अवधि	मूल वेतन	महंगाई भत्ते के भुगतान की राशि (₹ में) (@10%) (90%-80%)	देय महंगाई भत्ते की राशि (₹ में) (@10%) (90%-80%)	अन्तर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
1.7.13 to 31.7.13 =1m	5910+1650GP =7560	756	756	Nil	Nil
1.7.13 to 31.7.13 =1m	5910+1650GP =7560	779	756	23	23
1.9.13 to 28.2.14 =6m	6140+1650GP =7790	779x6=4674	779x6=4674	Nil	Nil
	कुल जोड	**₹6209**	**₹6186**	**₹23**	**₹23**

20. सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में ठेकेदारों को राशि ₹1.23 लाख का अनाधिकृत भुगतान

निम्न वर्णित निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा आवंटित राशि से अधिक राशि में पूर्ण किए गए थे तथा इस प्रकार इन निर्माण कार्यों में जो Overall deviation थी का भुगतान ठेकेदारों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही किया गया था, जोकि अनाधिकृत होने के कारण अनियमित है, क्योंकि नियमानुसार वर्णित राशि का भुगतान ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी से Deviation Statement अनुमोदित करवाए जाने के उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित था, जोकि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए अब या तो इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस अनाधिकृत भुगतान की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

आवंटन पत्र सं0 व दिनांक	निर्माण कार्य आवंटन राशि (₹ में)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹ में)	कुल विचलन (Overall deviation) (₹ में)	Overall deviation (₹ में)
(1). ठेकेदार का नाम : Sh. Hem Raj Pal-palog, Arki (HP) **वाउचर संख्या** : 32 दिनांक 24.2.12=₹169265 **कार्य का नाम** : Cement concrete block pavement near NP Office building behind Basket Ball Ground W.No.4 चलत बिल संख्याः 1st & Final माप पुस्तिका संख्या : 1/2012 पृष्ठ–16 to 19.				
NPA/Works/10/70 दिनांक 10.2.12	503220	556877	53657	10.66
(2). ठेकेदार का नाम : Elegant Sales & Services, Lower Chakker, Shimla-5 **कार्य का नामः** P/F Rain Shelter on way of Lutru Mahadev-Arki(Sh: Civil work & Rain Shelter 3 nos. size 3.66x2.50 complete) **चलत बिल संख्या** : 2nd & Final वाउचर संख्या : 21 दिनांक 29.5.2014=₹953896 माप पुस्तिका संख्याः 1/2014 पृष्ठ–16 से 20 तक				
NPA/Works/12/713 Dated 26.7.2012	866129	913515	47386	5.47
(3). ठेकेदार का नाम : Sh. Hem Raj Pal, Palog, Arki **कार्य का नाम** : Proposed Parking				

Complex of NP Arki Ph.I (SH:C/o R/wall & Earth work etc.e) **चलत बिल संख्याः** 2nd & Final **वाउचर संख्याः 38 दिनांक 1911.14=₹458212 माप पुस्तिका संख्याः 2/2014 पृष्ठ 1 से 4 तक**

NPA/Works/13/533 Dated 13.8.2013	**775559**	797682	22123	2.85
	कुल जोड़		**₹123166**	

21. निर्माण काय बिलों से श्रमकर की राशि ₹0.12 लाख की कटौती न करना

चयनित माह व विस्तृत लेखा परीक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्या के बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि ठेकेदारों के निर्माण काय बिलों से निम्न विवरणानुसार ₹12024 श्रमकर की कटौती नहीं की गई थी, जबकि श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः 1–2000(Lab.) BCWA-दिनांक 30.1.2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग इस कटौती के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व तदोपरांत H.P. Building and other Construction workers welfare Board में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

क्र0 सं0	माप पुस्तिका पृष्ठ सं0/वा0 का विवरण	ठेकेदार एव कार्य का नाम	कुल भुगतान की राशि (₹ में)	1% की दर से श्रमकर की देय राशि (₹ में)
1.	MB No. 2/2011 P-591 to 632 (1st & Final bill) Voucher No. 32 Dated 24.2.12, Ch. No. 277560 Dated 24.2.12	Sh. Dharam Pal Sharma-Arki C/o Sarswati Vidya Mandir School Building W. No. 7 (SH: C/o Balance Column & G.F slab)	197615	1976
2.	MB No. 2/2011 P-1 to 2 (1st & Final bill) Voucher No. 106 Dated 5.3.11, Ch. No. 477296 Dated 5.3.11	Sh. Yogesh Sharma-Palog, Arki Repair of road from shop of Sh. Kuldeep Gupta upto shop of Sh. Sunil Bhardwaj W. No. 4 to 6 dividing road	131160	1312
3.	MB No. 1/2007 P-75 to 77 (1st & Final bill) Voucher No. 21 Dated 24.6.10, SBP ch. No. 475825 Dated 24.6.10	Shri Hem Raj Pal, Palog, Arki C/o Brick Foopath around the Chougan ground W.No. 7 NP-Arki	72706	727
4.	MB No. 1/2007 P-91 to 92 (1st & Final bill) Voucher No. 21 Dated 24.6.10, SBP ch. No. 475825 Dated 24.6.10	Shri Hem Raj Pal, Palog, Arki Chennelization of Sheela Kakkar Nallah near H/o Sh. Krishan Chand Panwar W. No. 7 Arki	82728	827
5.	MB No. /2007 P-72 to 74 (1st & Final bill) Voucher	Shri Mansha Ram-Arki C/o Pucca Path from H/o Smt.	52832	528

	No. 22 Dated 24.6.10, SBP ch. No. 475826 Dated 24.2.12	Parbati upto link road to Lutru Mahadev at Benneri Mohalla W. No. 1 Arki		
6.	MB No. 1/2007 P-84 to 86 (1st & Final bill) Voucher No. 22 Dated 24.6.10, SBP ch. No. 475826 Dated 24.6.10	Shri Mansha Ram-Arki C/o Pucca Path from H/o Sh. Rajinder Kumar upto Blue Star Public School W. No. 7 Arki	81110	811
7.	MB No. 1/2007 P-78 to 81 (1st & Final bill) Voucher No. 23 Dated 24.6.10, SBP ch. No. 475827 Dated 24.6.10	Shri Kameshwar Sharma-Arki C/o Provision of steel grating above drain & steel railing along road side W. No. 5 (Morrassi Mohalla) Arki	66304	663
8.	MB No. 1/2007 P-82 to 83 (1st & Final bill) Voucher No. 23 Dated 24.6.10, SBP ch. No. 475827 Dated 24.6.10	Shri Kameshwar Sharma-Arki Repair & Maintenance of NP latrines in different ward (SH: white washing in wall & ceiling and painting in doors etc. complete)	10567	106
9.	MB No. 1/2007 P-94 to 95 (1st & Final bill) Voucher No. 23 Dated 24.6.10, SBP ch. No. 475827 Dated 24.6.10	Shri Kameshwar Sharma-Arki CC Pavement in the road from shop of Sh. Suneel Bhardwaj upto Employment Exchange W. No. 4 & 6 dividing road	70061	701
10.	MB No. 1/2007 P-86 to 88 (1st & Final bill) Voucher No. 24 Dated 24.6.10, SBP ch. No. 475828 Dated 24.6.10	Shri Pushpender Bhargava-Manju, Arki C/o Retaining wall near H/o Sh. Jia Lal W. No. 7	52685	527
11.	MB No. 1/2007 P-89 to 90 (1st & Final bill) Voucher No. 24 Dated 24.6.10, SBP ch. No. 475828 Dated 24.6.10	Shri Pushpender Bhargava-Manju, Arki C/o Retaining wall near H/o Sh. Jia Lal W. No. 7	29576	296
12.	MB No. 2/2011 P-45 to 47 (1st & Final bill) Voucher No. 30 Dated 24.2.12, UCO Bank ch. No. 237558 Dated 24.2.12	Shri Kameshwar Sharma-Arki Repair of path near H/o Sh. Tulsi Ram & path to Morrassi Mohalla W. No. 5 NP Arki	58694	587
13.	MB No. 2/2011 P-48 to 49 (1st & Final bill) Voucher No. 30 Dated 24.2.12, UCO Bank ch. No. 237558 Dated 24.2.12	Shri Kameshwar Sharma-Arki Repair of path near H/o Sh. Kameshwar Sharma upto DAR(SH:P/L Precast chequered Tiles)	22674	227

14.	MB No. 2/2011 P-57 to 59 (1st & Final bill) Voucher No. 30 Dated 24.2.12, UCO Bank ch. No. 237558 Dated 24.2.12	Shri Kameshwar Sharma-Arki C/o Brick path from H/o Sh. Gopal upto H/o Sh. Ram Lal W. No. 5 (Thawi Mohalla) NP Arki	95024	950
15.	MB No. 2/2011 P-54 to 57 (1st & Final bill) Voucher No. 31 Dated 24.2.12, UCO Bank ch. No. 237559 Dated 24.2.12	Shri Hem Raj Pal, Palog, Arki Pepair of Khyallu Nallah near H/o Sh. Prem Lal, Painter W. No. 3 Arki	87984	880
16.	MB No. 2/2011 P-50 to 54 (1st & Final bill) Voucher No. 31 Dated 24.2.12, UCO Bank ch. No. 237559 Dated 24.2.12	Shri Hem Raj Pal, Palog, Arki C/o Pucca path from public toilet Kulleri Mohalla upto manju road W. No. 3 Arki	90589	906

कुल जोड ₹12024

22. निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर आवंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से ₹8716 दण्ड शुल्क (penalty) की वसूली न करना

ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय अवधि में निम्न वर्णित निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर न तो कार्य आवंटन पत्र की शर्त के अनुसार दण्ड शुल्क (penalty) की वसूली ही की गई थी और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियामानुसार कार्य पूर्ण करने हेतु समय अवधि की बढ़ौतरी ही प्रदान की गई थी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा न केवल नियमानुसार ₹8716 की राशि के देय दण्ड शुल्क की वसूली करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, अपितु अंकेक्षण अवधि में इस अनियमितता से सम्बन्धित समस्त ऐसे प्रकरणों में भी अपेक्षित कार्यावाही/वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निश्चित की गई अवधि	निर्माण कार्य आरंभ/पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु लिया गया समय	निर्माण कार्य आवंटन पत्र की शर्त संख्याः4 के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की दर (₹ में)	विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली योग्य राशि (₹ में)
ठेकेदार का नाम : Sh. G.S. Pathak, VPO-Manu, Arki **कार्य का नाम :** C/o Brick Path in Thawi Mohalla in Ward No.-7 upto H/o of Sh. Inder & Sh. Gopal अनुबंध संख्याः 12/260 दिनांक 4.4.12=₹87162 चलत बिल संख्या : 1st R/bill। माप पुस्तिका संख्याः 2/2011 पृष्ठ 96 से 98 तक				
TWO month	18.4.12 in progress 31.3.15	More than 2Y11M13D	1% per day of delay subject to max. 10% of awarded sum	8716 (max.)

23. CC R/Wall की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकदार को ₹462 की राशि का अधिक भुगतान

कार्य का नाम : P/F Rain Shelter on way of Lutru Mahadev-Arki(SH: Civil work & Rain Shelter 3 nos. size 3.66x2.50 complete)

ठेकेदार का नाम : Elegant Sales & Services, Lower Chakker, Shimla-5
अनुबंध संख्या : NPA/Works/12/713 Dated 26.7.12 for ₹866129
चलत बिल संख्या : 1st, 2nd Final वाउचर संख्या : 21 दिनांक 29.5.14=₹91351
माप पुस्तिका संख्या : 1/2012 पृष्ठ–30 से 35 तक & 1/2014 पृष्ठ–16 से 20 तक

ठेकेदार को अनुबंध की कार्य मद संख्या : 7 P/LCC for plain/reinforced concrete in open foundation complete 1:4:8 की निष्पादित कुल मात्रा 51.54 घन मीटर हेतु ₹3300 प्रति घन मीटर की दर से राशि ₹170082 का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या : 1/2014 पृष्ठ–18)। इस मद की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या : 1/2014 के पृष्ठ–16&17 पर दर्ज की गई विस्तृत माप प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्मित की गई दीवार में 4 इंच dia अर्थात 100mm PVC पाईप Weepholes हेतु लगाई गई थी, जिसके लिए अनुबंध की कार्य मद संख्याः 8 के अन्तर्गत 18 मीटर पाईप का ₹140 की दर से ₹2520 की राशि का अलग से ठेकेदार को भुगतान किया गया था, परन्तु Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा, जोकि 22/7x0.05x0.05x18=0.14 घन मीटर बनती थी, को उक्त मद की कार्य प्रमात्रा से घटाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था, जबकि नियमानुसार निर्मित को गई दीवार की कार्य प्रमात्रा से Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा घटाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था, किन्तु ऐसा न करके ठेकेदार को वर्णित कार्य मद के अन्तर्गत 0.14 घन मीटर कार्य प्रमात्रा हेतु ₹3300 की दर से ₹462 की राशि का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण छानबीन उपरान्त उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24. Lead chart को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए बगैर राशि ₹0.33 लाख का ठेकदार को भुगतान

कार्य का नाम : Cement concrets block pavement near NP Office building behind Basket Ball Ground W. No. 4

ठेकेदार का नाम : Sh. Hem Raj Pal-Palog, Arki(H.P)
अनुबंध संख्या : NPA/Works/10/70 दिनांक 10.2.12=₹503220
चलत बिल संख्या : 1st, 2nd Final वाउचर संख्या : 13 दिनांक 5.10.12=₹471418
माप पुस्तिका संख्या : 1/2012 पृष्ठ–16 to 19

अतिरिक्त कार्य मद संख्या : 2 (माप पुस्तिका संख्या : 1/2012 पृष्ठ–18 Abstract of cost) "carriage of material by mechanical transport l/c loading, unloading & stacking complete upto lead of 1km." की कुल कार्य प्रमात्रा 203.13 घन मीटर का ₹162.43 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹32994 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियंता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार कार्य मद से सम्बन्धित Lead chart न तो बनाया गया था और न ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया गया था, जोकि अनियमित है। क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व Lead chart को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाकर ही भुगतान किया जाना चाहिए था तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹32994 की राशि का अनियमित भुगतान किया गया, जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अब सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25. CC R/Wall की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹1940 की राशि का अधिक भुगतान

कार्य का नाम : C/o Solid Waste Management Project Ph. I(R/wall, B/wall and earth work etc.)

ठेकेदार का नाम : Sh. Hari Chand Sharma-Shalaghat, Arki(H.P)
अनुबंध संख्या : NPA/Works/13-532 Dated 13.8.13 for ₹680869
चलत बिल संख्या : 1st, 2nd Final
वाउचर संख्या : 14 दिनांक 27.01.14=₹418364
माप पुस्तिका संख्या : 1/2012 पृष्ठ–65 से 67 तक & 75 से 78 तक

ठेकेदार को अनुबंध की कार्य मद संख्या : 7 P/L CC for plain/reinforced concrete in open foundation complete in cc 1:4:8 की निष्पादित कुल मात्रा 324.91 घन मीटर हेतु ₹1980 प्रति घन मीटर की दर से ₹643322 की राशि का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या : 1/2012 के पृष्ठ–66&76 पर दर्ज की गई विस्तृत माप प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्मित की गई दीवार में 4 इंच dia अर्थात 100mm PVC पाईप Weepholes हेतु लगाई गई थी, जिसके लिए अनुबंध की कार्य मद संख्या : 4 के अन्तर्गत 124.75 मीटर पाईप का ₹150 की दर से ₹18712 की राशि का अलग से ठेकेदार को भुगतान किया गया था, परन्तु Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य पमात्रा, जोकि 22/7x0.05x0.05x124.75=0.98 घन मीटर बनती थी, को उक्त मद की कार्य प्रमात्रा से घटाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था, जबकि निमयानुसार निर्मित की गई दीवार की कार्य प्रमात्रा से Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा घटाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था, किन्तु ऐसा न करके ठेकेदार को वर्णित कार्य मद के अन्तर्गत 0.98 घन मीटर कार्य प्रमात्रा हेतु ₹1980 की दर से ₹1940 की राशि का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका निमयानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा

अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण छानबीन उपरान्त उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26. CC R/Wall की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹2405 की राशि का अधिक भुगतान

कार्य का नाम : Proposed Parking Complex of NP Arki Ph. I(SH: C/o R/wall & Earth work etc. e)

ठेकेदार का नाम : Sh. Hem Raj Pal-Palog, Arki(H.P)
अनुबंध संख्या : NPA/Works/13/533 Dated 13.8.13 for ₹775559
चलत बिल संख्या : 1st, 2nd Final वाउचर संख्या : 38 दिनांक 19.11.14=₹458212
माप पुस्तिका संख्या : 2/2014 पृष्ठ–1 से 4 तक

ठेकेदार को अनुबंध की कार्य मद संख्या : 3 P/L CC for plain/reinforced concrete in open foundation complete in cc 1:4:8 की निष्पादित कुल मात्रा 326.76 घन मीटर हेतु ₹2248 प्रति घन मीटर की दर से ₹734556 की राशि का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या : 2/2014 पृष्ठ–3)। इस मद की निष्पादित कार्य की गणना से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या : 1/2014 & 2/2014 के पृष्ठ–1&2 पर दर्ज की गई विस्तृत माप प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्मित की गई दीवार में 4 इंच dia अर्थात 100mm PVC पाईप Weepholes हेतु लगाई गई थी, जिसके लिए अनुबंध की कार्य मद संख्या : 4 के अन्तर्गत 136.20 मीटर पाईप का ₹150 की दर से ₹20430 की राशि का अलग से ठेकेदार को भुगतान किया गया था, परन्तु Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा, जोकि 22/7x0.05x0.05x136.20=1.07 घन मीटर बनती थी, को उक्त मद की कार्य प्रमात्रा से घटाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था, जबकि निमयानुसार निर्मित की गई दीवार की कार्य प्रमात्रा से Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा घटाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था, किन्तु ऐसा न करके ठेकेदार को वणित कार्य मद के अन्तर्गत 1.07 घन मीटर कार्य प्रमात्रा हेतु ₹2248 की दर से ₹2405 की राशि का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका निमयानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण छानबीन उपरान्त उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना स अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27. CC R/Wall की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹266 की राशि का अधिक भुगतान

कार्य का नाम : C/o Approach Road to Muck Dumping site in W. No. 5 NP Arki (SH: C/o R/wall)

ठेकेदार का नाम : Sh. Madho Ram-Sanan, Arki(H.P)
अनुबंध संख्या : NPA/Works/14/602 Dated 25.7.14 for ₹206047
चलत बिल संख्या : 1st, 2nd Final वाउचर संख्या : 24 दिनांक 13.11.14=₹154736

माप पुस्तिका संख्या : 1/2014 पृष्ठ–38 से 39 तक

ठेकेदार को अनुबंध की कार्य मद संख्या : 2 P/L CC with 15% Plum & curing complete including cost of form work for plain/reinforced concrete in R/wall, B/wall की निष्पादित कुल मात्रा 59.47 घन मीटर हेतु ₹2950 प्रति घन मीटर की दर से ₹175437 की राशि का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या : 1/2014 पृष्ठ–39)। इस मद की निष्पादित कार्य की गणना से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या : 1/2014 पृष्ठ–39)। इस मद की निष्पादित कार्य की गणना से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या : 1/2014 पृष्ठ–39 पर दर्ज की गई विस्तृत माप प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्मित की गई दीवार में 4 इंच dia अर्थात 100mm PVC पाईप Weepholes हेतु लगाई गई थी, जिसके लिए अनुबंध की कार्य मद संख्या : 3 के अन्तर्गत 11.32 मीटर पाईप का ₹135 की दर से ₹1528 की राशि का अलग से ठेकेदार को भुगतान किया गया था, परन्तु Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा, जोकि 22/7x0.05x0.05x11.32=0.09 घन मीटर बनती थी, को उक्त मद की कार्य प्रमात्रा से घटाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था, जबकि निमयानुसार निर्मित की गई दीवार की कार्य प्रमात्रा से Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा घटाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था, किन्तु ऐसा न करके ठेकेदार को वर्णित कार्य मद के अन्तर्गत 0.09 घन मीटर कार्य प्रमात्रा हेतु ₹2950 की दर से ₹266 की राशि का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका निमयानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण छानबीन उपरान्त उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28. कार्य का नाम : C/o Pucca Path from public toilet (Kulleri Mohalla) upto manju road W. No. 3

ठेकेदार का नाम : Sh. Hem Raj Pal-Palog, Arki(H.P)
अनुबंध संख्या : NPA/Works/11/702 Dated 6.9.11=₹82809
चलत बिल संख्या : 1st, 2nd Final वाउचर संख्या : 31 दिनांक 24.2.12=₹152954
माप पुस्तिका संख्या : 2/2011 पृष्ठ–50 to 54
माप की गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹1386 की राशि का अधिक भुगतान

कार्य मद संख्या :6 (माप पुस्तिका संख्या : 2/2011 पृष्ठ–53 Abstract of cost) "R/R massonary/Polygonal R/massonary with hard stone of approved quality including leveling with cc 1:6:12 in CM 1:6 in B/wall & R/wall etc" की कुल कार्य प्रमात्रा 29.88 घन मीटर का ₹2200 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹65736 को राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 2/2011 पृष्ठ–52 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि 1.70m लम्बाई में Excavation in F/P (Item No. 1) & cc 1:6:12(Item No. 3) का कार्य तो क्रमशः 0.60 मीटर व 0.47 मीटर की चौड़ाई में किया गया था (माप पुस्तिका संख्या : 2/2011 पृष्ठ–50) जबकि R/R massonary का कार्य 1.30 मीटर की चौड़ाई में किया

गया, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यह कार्य cc 1:6:12 के कार्य की चौडाई से अधिक नहीं होना चाहिए था। अतः माप की गलत गणना की इस त्रुटि के कारण निम्न विवरणानुसार 0.63 घन मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था, जोकि ₹1386 बनता है, जिसका पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना स अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मीटर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
1.70xx1.30x0.45 =0.99 cum	1.70xx0.47x0.45 =0.36 cum	0.63 cum	2200 Per cum	**₹1386**

29. वेतन व भत्तों की बकाया राशि ₹1.17 लाख का भुगतान पूर्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित आहरण विवरणी प्राप्त किए बिना करना

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दारान पाया गया कि निम्न प्रकरणों में वेतन व भत्तों की बकाया राशि का भुगतान पूर्व आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित आहरण विवरणी प्राप्त किए बिना ही किया गया था, जोकि अनियमित है, क्योंकि वर्णित अवधि में ये अधिकारी/कर्मचारी नगर पंचायत–अर्की में कायरत नहीं थे तथा उस अवधि की बकाया राशि का भुगतान नियमानुसार पूर्व आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित आहरण विवरणी प्राप्त करके ही किया जाना अपेक्षित था। इस अनियमितता के कारण देय बकाया राशि के भुगतान की सत्यापना अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः अब इस अनियमितता का समाधान वर्णित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करते हुए भुगतान की सत्यापना करवाई जाए।

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	वा0 सं0/ दिनांक	बकाया भुगतान की राशि (₹ में)	अवधि जिसकी आहरण विवरणी अपेक्षित है
1	Sh. Umesh Kumar, clerk	12 of 10/2010 =22407	4319 (DA Arrear)	9.5.2012 to 31.7.2012
2	Smt. Kanchan Bala, Secretary	30 of 03/2014 =112575	112575 (Revised pay scale Arrear)	1.1.2006 to 31.8.2009

30. स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की एवज में हिमाचल आर्गेनाईजेशन फॉर पब्लिक एम्पावरमेंट (HOPE) संस्था को ₹7020 की राशि का अधिक भुगतान

हिमाचल आर्गेनाईजेशन फॉर पब्लिक एम्पावरमेंट (HOPE) संस्था–आंजी, तारादेवी, शिमला को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत–अर्की के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ₹65 प्रति लाभार्थी प्रति दिन की दर पर अनुबंधित किया गया था। (परिशिष्ट

संख्या : झ), जिसके लिए उन्हें वाउचर संख्या : 20 दिनांक 6.3.2014 द्वारा ₹40,000 की राशि का अग्रिम भुगतान किया गया था। अग्रिम राशि का समयोजन वाउचर संख्या : 22 दिनांक 9.4.2014 द्वारा किया गया, जिसके अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था के बिल अनुसार (परिशिष्ट संख्या : **"झ"**) 27 लाभार्थियों को अवधि 1.2.2014 से 13.3.2014 तक =41 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नगर पंचायत द्वारा उन्हें कुल ₹78975 की राशि का भुगतान किया गया था, जबकि उक्त अनुबंधित दर के अनुसार उन्हें केवल ₹71955 (₹65 x ₹27 लाभार्थी x41दिन) ही देय बनते थे। इस प्रकार उक्त संस्था को ₹7020 की राशि का अधिक भुगतान हुआ है, जिसका या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31. अस्थाई अग्रिम की राशि ₹0.40 लाख के समायोजन का पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना (वाउचर संख्या : 20 दिनांक 6.3.2014)

हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम को डिमांड ड्राफ्ट : 566104 दिनांक 31.10.2012 द्वारा 200 सीमेंट बैग (10MT) की आपूर्ति हेतु ₹40350 का अग्रिम भुगतान किया गया था, जिसके विरूद्ध निम्न विवरणानुसार केवल ₹37928 की राशि के बिल ही वाउचर के साथ उपलब्ध थे तथा शेष राशि ₹2422 का समायोजन किस प्रकार पंचायत द्वारा किया गया, इसका कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अब अग्रिम समायोजन से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करते हुए लेन–देन की सत्यापना करवाई जाए।

क्रमांक	**फर्म का नाम**	**बिल / रसीद सं0 / दिनांक**	**राशि (₹ में)**
1	M/s Jay Pee Himachal Cement Plant	2112201383 / 3.12.2012	34800
2	The Mangal Land Loosers & Effective TPT. Co-op Society Ltd.-Baga-Mangal, Arki	108 / 3.12.2012	3128
		कुल जोड़	**₹37928**

32. बिजली की वस्तुएं Rate contract दर की अपेक्षा सीमित Quotation आधार पर क्रय करने के कारण ₹2720 की राशि की हानि (वाउचर संख्या : 20 दिनांक 6/2010 = ₹6880, वाउचर संख्या : 18 दिनांक 10/2012=₹29903 & वाउचर संख्या : 8, दिनांक 11/2014=₹14830)

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बनिधत अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट के रख–रखाव से सम्बन्धित बिजली का सामान पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु खुले बाजार से सीमित निविदाओं (Limited Quotation) के आधार पर क्रय किया गया था, जबकि इसमें से कुछ सामान हि0प्र0 सरकार द्वारा

अनुमोदित दर संविदा (Rate contract) पर सस्ते दर पर उपलब्ध था, जैसे कि ट्यूब 40Watt। (अंकेक्षण को परिशिष्ट संख्या : ञ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार) नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान 1075 ट्यूब क्रय की गई थी। यदि इन्हें Rate contract पर क्रय किया गया होता, तो लगभग ₹2720 की बचत हो सकती थी। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा छानबीन उपरान्त वर्णित राशि की वसूली करके पंचायत निधि की भरपाई की जाए और भविष्य में Rate contract पर उपलब्ध सामान को Rate contract पर ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि	क्रय ट्यूब की सं0	भुगतान दर (₹ में)	Rate contract की वर्तमान दर (₹ में)	दर में अंतर (₹ में)	हानि की राशि (₹ में)
1.4.10 to 31.3.15	1075	40	32.94+vat 13.75% =37.47	2.53	**₹2720**

33. बिजली के बिलों पर ₹998 के विलम्ब शुल्क का अनियमित भुगतान

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि हि0प्र0 राज्य बिजली बोर्ड–अर्की को अदा किए गए बिजली के बिलों में निम्नानुसार पिछले बिलों को समय पर अदा न करने का विलम्ब शुल्क भी शामिल था।

मीटर/खाता सं0	बिल सं0/दिनांक	विलम्ब शुल्क की राशि (₹ में)
A-1151	01199106/23.9.2014	490
AH-119	01199105/23.9.2014	346
AB-190	01199107/23.9.2014	81
AF-203	01199108/23.9.2014	81
	कुल जोड़	**₹998**

कार्यालय प्रशासन की जिम्मेवारी है कि बिजली के बिलों का भुगतान समय पर किया जाए, ताकि विलम्ब शुल्क से बचा जा सके। ऐसा न करके नगर पंचायत निधि पर ₹998 का अनुचित प्रभार डाला गया है, जोकि उचित नहीं है। जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33.1 बिजली के बिलों पर विविध शुल्क की राशि ₹0.53 लाख का अनियमित भुगतान

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि हि0प्र0 राज्य बिजली बोर्ड–अर्की को अदा किए गए बिजली के बिलों में निम्नानुसार विविध शुल्क व रख–रखाव शुल्क की असमान्य राशि सम्मिलित थी, जिनका भुगतान पूर्ण औचित्य स्पष्ट किए बिना किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि पंचायत द्वारा जब

बिजली के बिलों का भुगतान नियमित तौर पर बिजली बोर्ड की मांग अनुसार किया गया था तो विविध शुल्क भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में मामला सम्बन्धित बोर्ड से उठाकर भुगतान किए गए शुल्कों का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट करवाया जाए अन्यथा अनियमित शुल्कों का भविष्य में देय राशि में से समयोजन करके समाधान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वा0 सं0/ दिनांक	मीटर/बिल सं0	बिल की राशि (₹ में)	Maintenance charges की राशि (₹ में)	Sundry charges की राशि (₹ में)
22/25.10.12 =₹20318	A-1151 00200449	11470	2708	–
–do–	AH-119 00200451	7853	2708	–
23/15.3.14 =₹15650	A-1151 01128829	7892	2708	–
–do–	AH-119 01128828	7036	2708	–
7/1.11.14 =₹80571	AB-190 01199107	4098	162	3500
–do–	AF-203 01199108	4098	162	3500
–do–	A-1151 01199106	25861	2708	8000
–do–	AH-119 01199105	17953	2708	8000
–do–	AB-190 01105030	598	162	–
–do–	AF-203 01105030	543	162	–
–do–	A-1151 01105029	16953	2708	–
–do–	AH-119 01105028	8303	2708	–
27/13.11.14 =₹34310	AB-190 00853492	543	162	–
–do–	AF-203 00853493	543	162	–
–do–	A-1151 00853491	19782	2708	925
–do–	AH-119 00853490	12534	2708	925
	कुल जोड़		**₹28052**	**₹24850**

33.2 बिजली के बिलों में ₹473 की राशि का अधिक भुगतान (वाउचर संख्या : 23 & 7, दिनांक 15.3.11 & 1.11.14=₹80571)

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि हि0प्र0 राज्य बिजली बोर्ड को बिजली बिलों की एवज में देय राशि से ₹473 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी वसूली/समायोजन अब सम्बन्धी उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

खाता/ बिल सं0	पुरानी मीटर रीडिंग	नई मीटर रीडिंग	गणना में ली गई खपत	वास्तविक खपत जो गणना में ली जानी चाहिए थी	भुगतान की राशि (₹ में)	भुगतान देय राशि (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
A-1151	3456	3469	—	—	7892	7892x890	173
01128829	7050	7940	910	890	—	910	
21.3.2014	10519	11409	910	890	—	=7719	
A-1151	3469	3469	1300A	1300A	16953	16653	300
01105029	14030	15230	1200	1200		(योग की	
22.10.14	17499	18699	2500	2500		गणना में	
						त्रुटि के	
						कारण)	
			कुल जोड़				**₹473**

34. मिश्रित अनियमितताओं के कारण ₹1365 के अधिक भुगतान

चयनित माह के व्यय एवं भुगतान वाउचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाई गई निम्नलिखित अनियमितताओं के कारण ₹1365 की राशि अधिक भुगतान हुआ था, जिसको वसूली अब उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34.1 दोमासिक आधार पर निर्धारित मोबाइल चार्जेज (Bi-monthly mobile charges) के रूप में ₹600 का अधिक भुगतान

चयनित माह के व्यय वाउचर संख्या : 21, दिनांक 2.2.2012=₹3981 का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि सचिव, नगर पंचायत को माह 1/2012 के लिए ₹400 के मोबाइल भत्ते का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित था, क्योंकि निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हि0प्र0 के पत्र संख्याः UD-H(C)–(7)–19/97–II–10199–10246, दिनांक 15.9.2007 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उन्हें यह भुगतान ₹400 दोमासिक अर्थात ₹200 प्रतिमाह के आधार पर केवल ₹200 ही

देय बनता था। अतः इस प्रकार उन्हें इस प्रकरण में ₹200 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका या तो निमयानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि व चयनित माह के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए अधिक भुगतान की गणना अपने स्तर पर करने सहित कुल राशि की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए पंचायत निधि की भरपाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इस प्रकार अध्यक्ष, नगर पंचायत को भी माह 1/2012 के लिए ₹400 के मोबाइल भत्ते का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित प्रतीत होता है, क्योंकि शहरी, निदेशक विकास के ज्ञापन संख्या : UD-H(C)–(7)–19/97–II–10199–10246, व ULB– H(A)(7)–1/87, 9237–9284, दिनांक 15.9.2007 व 20.6.2001 द्वारा जारी अनुदेशानुसार केवल कार्यकारी अधिकारी और सचिवों को ही मोबाइल भत्ते का भुगतान का प्रावधान किया गया है तथा इन अनुदेशों में अध्यक्ष, नगर पंचायत को मोबाइल भत्ते के भुगतान का कोई भी प्रावधान नहीं है।

अतः या तो किए गए भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से राशि की, चयनित माह के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए अधिक भुगतान की गणना अपने स्तर पर करने सहित कुल राशि की, वसूली करते हुए पंचायत निधि की भरपाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34.2 वाउचर संख्या : 22, दिनांक 2.2.2012=₹9629

मैसर्ज अंगीरा ट्रेडर्स–अर्की को उनके बिल संख्या : 448, दिनांक 6.1.2012 के विरूद्ध सैनिटरी वस्तुओं की खरीद की एवज में ₹859 की राशि का भुगतान किया गया। जबकि बिल में योग की त्रुटि के कारण उन्हें केवल ₹848 ही देय बनते थे। अतः इस प्रकार ₹11 की राशि का अधिक भुगतान हुआ है, जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करते हुए पंचायत निधि की भरपाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34.3 वाउचर संख्या : 26, दिनांक 24.2.2012=₹1725

मैसर्ज युवी जनरल स्टोर– अर्की को उनके बिल संख्या व दिनांक शून्य के विरूद्ध माह 1/2012 के जलपान खर्च की एवज में ₹464 की राशि का भुगतान किया गया था, जबकि बिल में योग की त्रुटि के कारण उन्हें केवल ₹424 ही देय बनते थे। अतः इस प्रकार ₹40 की राशि का अधिक भुगतान हुआ है, जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करते हुए पंचायत निधि की भरपाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34.4 वाउचर संख्या : 2 व 15, दिनांक 1.11.2014=₹72914 व ₹74914

श्री राम कर्ण वर्मा, लिपिक के माह 9/14 व 10/14=2M के वेतन जोकि माह 10/14 व 11/14 में देय था, से प्रतिमाह ₹2785 की राशि के अभिदान की कटौती की गई थी, जिसके विरूद्ध उनके अंशदायी पेंशन योजना (CPS) के खाते में ₹2866 की राशि का भुगतान/जमा प्रदान किया गया

था, जोकि 81x2M=₹162 अधिक था। अतः अधिक भुगतान की राशि की अब उचित स्त्रोत से वूसली समायोजन करते हुए पंचायत निधि की भरपाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34.5 ठेकेदार के निर्माण कार्य बिलों से काटी गई आयकर की राशि से ₹32 अधिक की राशि का सम्बन्धित विभाग का भुगतान करना

चयनित माह के व्यय वाउचर संख्या : 25, दिनांक 13.11.2014=₹15760 का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ठेकेदार के निर्माण कार्य बिलों से काटी गई आयकर की राशि से अधिक ₹32 की राशि का सम्बन्धित विभाग को बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित है, जिसकी अब उचित स्त्रोत से वसूली/समायोजन करते हुए पंचायत निधि की भरपाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	ठेकेदार का नाम	माप पुस्तिका सं0/पृष्ठ	आयकर कटौती की राशि (₹ में)	यूको बैंक में जमा भुगतान राशि (₹ में)	चालान सं0/ दिनांक
1	Sh. Bhuwnesh Kumar	1/2014P–25	816+16 Cess=832	8507	GBM669774 1.11.2014
2	Sh. Kameshwar	1/2014P–26	1578		
3	Sh. Pushpender	1/2014P–34	801+16 Cess=817		
4	Sh. Pushpender	1/2014P–37	941+19 Cess=960		
5	Sh. Madho Ram	1/2014P–39	4204+84 Cess=4288		
	कुल जोड़		**₹8475**	**₹8507**	**₹32**

34.6 श्री कांशी राम, बेलदार को अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में ₹520 की राशि का अधिक भुगतान (वाउचर संख्या : 88, दिनांक 2.5.2012=₹150840)

श्री कांशी राम, बेलदार दिनांक 31.3.2012 को सेवानिवृत्त हुए थे तथा उन्हें स्वीकृत सेवानिवृत्ति लाभों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि 300 दिनों के अनुपयोग अर्जित अवकाश को भुनाने की एवज में निम्न विवरणानुसार ₹520 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वेतन (₹ में)	अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में देय राशि (₹ में)	अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में वास्तविक भुगतान राशि (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
7710+1400GP=9110+	15032x300 / 30	15084x300 / 30	**₹520**

5922DA(65%) =₹15032	=₹150320	=₹150840

35. सेवानिवृत्ति उपदान की राशि ₹1.77 लाख का पेंशन व उपदान निधि की अपेक्षा पंचायत निधि से अनियमित भुगतान

श्री जगदीश चंद, वरिष्ठ लिपिक दिनांक 31.8.2010 को सेवानिवृत्त हुए थे तथा उन्हें स्वीकृत सेवानिवृत्ति लाभों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उनको देय सेवानिवृत्ति उपदान की राशि का भुगतान निम्न विवरणानुसार पंचायत निधि से किया गया था, जबकि नियमानुसार यह भुगतान पेंशन व उपदान निधि से किया जाना अपेक्षित था। अतः इस अनियमितता का समाधान अब वर्णित राशि को पेंशन व उपदान निधि से पंचायत निधि को हस्तांतरित करके किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	वा0 सं0/ दिनांक	भुगतान राशि (₹ में)	बैंक का नाम	चैक सं0
1	140/3.5.11	1,00,000	UCO Bank	441236
2	186/2.9.11	76803	SBP	474618
	कुल जोड़	**₹176803**		

36. पेंशन निधि से राशि ₹0.13 लाख का अनियमित भुगतान

व्यय/भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित व्यय का भुगतान पंचायत निधि की अपेक्षा पेंशन निधि से किया गया था, जोकि पेंशन निधि पर उचित प्रभार न होने के कारण अनियमित है, जिसका समाधान अब वर्णित राशि को नगर पंचायत निधि से पेंशन निधि को हस्तांतरित करके किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	वा0 सं0/ दिनांक	भुगतान की राशि (₹ में)	व्यय का विवरण
1	45(II)/1.10.10	2500	Purchase of diesel for Tipper HP-11-4630 from Shiv Filling Station-Arki vide cm. no. 3992 Dated 1-10-2010
2	5/1.1.2013	10000	GPF deduction fo Smt. Kanchan Bala, Secretary out of pay for the month of 12/2012
	कुल जोड़	**₹12500**	

37. अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को राशि ₹1.45 लाख के प्रत्यर्पर्णीय अग्रिमो का अनियमित अहरण व भुगतान

अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित कर्मचारियों को सचिव द्वारा अंशदायी पेंशन योजना

निधि बचत खातों से अंतिम भुगतान/आहरण की स्वीकृतियां प्रदान की गई थी, जबकि नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना खाते से सेवाकाल के दौरान अग्रिम/आहरण राशि की स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है। अतः निम्न वर्णित कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है, जिसका समाधान अब भुगतान की गई अग्रिम/आहरण की राशियों को सम्बन्धित कर्मचारियों से तुरन्त वसूल करके निधि में जमा की जाए तथा भविष्य में नियमों की कढाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	दिनांक	अंतिम भुगतान की राशि (₹ में)
1	श्री राम कर्ण, लिपिक	8.8.2014	135000
2	श्री मस्त राम, बेलदार	11.6.2013	10000
		कुल जोड़	₹145000

38. सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति के बगैर राशि ₹12.23 लाख का अनियमित भुगतान एवं भुगतान की राशि को रोकड़ वही दर्ज न करना

सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित कर्मचारियों को सचिव द्वारा सा0भ0 निधि से अंतिम भुगतान/आहरण की स्वीकृतियां प्रदान की गई थी, जबकि हि0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचित Himachal Pradesh Municipalitiers Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 के नियम 13(i) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "The advances, withdrawls and final payment from G.P.F shall be sanctioned by Director"। अतः सचिव द्वारा सा0भ0 निधि से स्वीकृत अंतिम भुगतान/आहरण की राशियां उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस सम्बन्ध में अब निम्नलिखित प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	दिनांक	अंतिम भुगतान की राशि (₹ में)
1	श्रीमति रंजना देवी, बेलदार	24.5.2012	28000
		11.6.2013	40000
		23.7.2014	50000
2	श्री मस्त राम, बेलदार	24.1.2012	20000
		18.3.2012	5000
		6.2.2013	35000
		2.11.2013	20000
		6.8.2014	35000
		23.3.2015	150000

3	श्री नीम चंद	29.9.2011	50000
		4.2.2014	50000
		4.9.2014	40000
4	श्री रत्ती राम	15.2.2011	25000
		1.11.2012	30000
		2.11.2013	20000
		23.7.2014	50000
5	श्रीमति विद्या देवी	15.2.2011	20000
		3.12.2012	30000
		21.2.2014	30000
		21.3.2015	200000
6	श्री शशि कान्त, सफाई पर्यवेक्षक	8.11.2010	30000
		25.8.2011	25000
		13.7.2012	30000
		10.12.2012	15000
		21.6.2013	25000
		27.8.2013	30000
		21.4.2014	50000
		18.11.2014	90000
		कुल जोड़	**₹1223000**

इसके अतिरिक्त उक्त वर्णित भुगतान राशि व उक्त पैरा संख्या : 39 में वर्णित ₹145000 की राशि =कुल ₹1368000 की रोकड़ वही में भी लेखांकन नहीं किया गया, जबकि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय लेन–देन का तुरन्त रोकड़ वही में लेखांकन व सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। इस अनियमितता के सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2007 से 3/2010 तक के पैरा संख्या : 10.2 द्वारा भी पंचायत प्रशासन के ध्यान में लाया गया था, किन्तु इसके बावजूद भी अपेक्षित कार्यवाहो अम्ल में न लाना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा नगर पंचायत की लचर कार्यशली को दर्शाता है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित प्रकरण में तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

39. सामान्य भविष्य निधि, पेंशन तथा ग्रेच्यूटी निधि के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करना

हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या : LSG-B(1)–1/79– iii, दिनांक 25.4.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के कर्मचारियों को पेंशन लाभों की अदायगी के उद्धेश्य हेतु निदेशक द्वारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ–साथ इसका रख–रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह प्रावधान भी किया गया है कि नगरपालिकाएं कर्मचारियों के समय वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पेंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाएगी। उक्त नियमों के नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख–रखाव भी निदेशक द्वारा किया जाएगा।

नगर पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया किः–

(क) उक्त वर्णित निधियों के लेखो का रख–रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर परिषद द्वारा ही किया गया था, जोकि नियमों की सरासर उल्लघना है।

(ख) नियमानुसार पेंशन, ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी पेंशन योजना का अलग–अलग बैंक बचत खाता/बही खाता का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित था, किन्तु इसके प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा अंशदायी पेंशन योजना व सामान्य भविष्य निधि के बैंक में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत बचत खाते खोल रखे थे, जिसमें सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पेंशन योजना का नियोक्ता हिस्सा व अंशदायी पेंशन योजना का कर्मचारी का अभिदान जमा किया गया था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है तथा अनियमित है।

(ग) परिशिष्ट "ट" द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना व सामान्य भविष्य निधि के खातों में क्रमशः ₹509110 व ₹1402269 जमा थे तथा यह राशि सावधिक जमा में निवेश की अपेक्षा नगर पंचायत द्वारा कर्मचारियों के बैंक में खोले गए बचत खातों में जमा रखी जा रही थी, जिस जमा पर बैंक द्वारा बचत खाते का ब्याज जोकि केवल 4% है, दिया जा रहा था। इस प्रकार बचत राशि को सावधिक जमा में निवेश न करके कर्मचारियों को ब्याज रूप में भी धन की लगातार हानि हो रही थी और नियमानुसार निवेशों का संचालन नहीं किया जा रहा था, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः यह मामला सचिव/निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय के ध्यान मे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु लाया जाता है।

40. श्री जीत राम, सफाई कर्मचारी (सेवानिवृत्त) को पेंशन की राशि ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री जीत राम, सफाई कर्मचारी (सेवानिवृत्त) को 70 वर्ष

की आयु पूर्ण करने पर 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता तथा उस पर महंगाई राहत का भुगतान किया गया, जबकि उन्हें 5% की दर से ₹175 की राशि के पेंशन भत्ता का पहले ही भुगतान किया जा रहा था तथा नियमानुसार पेंशन भत्ता पर महंगाई राहत भी देय नहीं है। विस्तृत अंकेक्षण पर पाया गया कि इस अनियमितता के कारण निम्न विवरणानुसार उन्हें ₹7125 की पेंशन राशि का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान को राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके पेंशन निधि में जमा की जाए तथा भविष्य में पेंशन की सही दर से आहरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	**आहरित पेंशन (₹ में)**		**देय पेंशन (₹ में)**	**अंतर (₹ में)**	**अधिक भुगतान की राशि (₹ मं)**
1.7.14 to 30. 4.15 =10M	3500	B. Pension	3500	525	5250
	3850	DR(100%)	3500		
	175	Pen. All. (5%)	–		
	350	Pen. All. (10%)	350		
	₹7875	**Total**	**₹7350**		
1.5.15 to 30. 9.15 =5M	3500	B. Pension	3500	375	1875
	4120	DR(107%)	3745		
	350	Pen. All. (10%)	350		
	₹7970	**Total**	₹7595		
			कुल जोड़		**₹7125**

41. स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

हि0प्र0 नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापना करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेंगे और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी दुर्विनियोजन/Pilferage की सम्भावना से बचा जा सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

42. नगर पंचायत द्वारा ठेकेदार से निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेंट बैगों की विभागीय आपूर्ति की एवज में ₹860 की राशि की कम वसूली

सीमेंट भण्डार के लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में नगर पंचायत द्वारा ठेकेदार के बिलों से निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेंट बैगों की विभागीय आपूर्ति की एवज में ₹860 की राशि कम वसूल की गई थीः–

ठेकेदार/निर्माण कार्य का नाम	जारी कुल सीमेंट बैग		वसूल सीमेंट बैग	कम वसूल सीमेंट बैग	निर्गम दर प्रति बैग (₹ में)	कम वसूली गई राशि (₹ में)	निर्माण कार्य रजिस्टर व पृष्ठ सं0	माप पुस्तिका व पृष्ठ सं0
	दिनांक (सीमेंट स्टॉक पृष्ठ सं0–11)	जारी सीमेंट बैग						
Elegant Sales & Services, Lower Chakker, Shimla-5 (i) P/F Rain Shelter on way of Lutru Mahadev-Arki(Sh. Civil work & Rain Shelter 3 nos. size 3.66x2.50 complete) अनुबंध सं0 : NPA(Works/12/713 Dated 26.7.12 for ₹866129 वा0 सं0 : 21, दिनांक 29.5.14=₹953896	20.9.12 3.10.12 17.10.12 23.10.12 30.10.12 6.12.12 **Total**	25 50 30 45 30 40 **220**	218	2	215	430	38	1/2014 P-17 to 20
(ii) P/F Rain Shelter on way of Lutru Mahadev-Arki(Sh. Civil work & Rain Shelter 1 nos. size 3.65x5.48 complete) अनुबंध सं0: NPA (Works/12/714 Dated 26.7.12 for ₹481104 वा0 सं0 : 21, दिनांक 29.5.14=₹953896	4.12.12	42	40	2	215	430	37	1/2014 P-16
	कुल जोड़					**₹860**		

अतः कम वसूल की गई राशि का या तो आचित्य स्पष्ट किया जाए या अब इस राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

43. वाहन में फ्यूल टैंक की क्षमता से अधिक डीजल, भराई करने के कारण ₹1514 की राशि के डीजल का सम्भावित दुर्विनियोजन

वाहन (टिप्पर) संख्या : HP–11–4630 की लॉग बुक का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि वाहन में फ्यूल टैंक की क्षमता से अधिक डीजल की भराई की गई थी, जिसके कारण ₹1514 के डीजल का सम्भावित दुर्विनियोजन हुआ प्रतीत होता है, जिसे पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माह	**फ्यूल टैंक में दर्शाया गया शेष (लीटर में)**	**फ्यूल टैंक की क्षमता (लीटर में)**	**फ्यूल टैंक मं क्षमता से अधिक तेल की मात्रा (लीटर में)**	**औसतन दर (₹ प्रति लीटर में)**	**राशि (₹ में)**
3/2013	109.8	90	19.8	52.56	1041
6/2013	91.55	90	1.55	52.56	81
8/2013	97.46	90	7.46	52.56	392
				कुल जोड़	**₹1514**

44. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

45 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय–समय पर अध्ययरत (Updation) एवं पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– (V)49/फिन (एल0ए0) खण्ड–II–2075–2076 दिनांक 08.04.2016, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 के पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृतः– **2.** सचिव, नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 1 (ग) क सन्दर्भ में

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2015 में सम्मिलित गत अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की स्थितिः—

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/1967 से 01/1970

1	पैरा 1	अनिर्णीत
2	पैरा 2	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 02/1970 से 03/1972

1	पैरा 4	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1972 से 03/1977

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1977 से 03/1981

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 12(सी)	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
9	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत
10	पैरा 14(सी)	अनिर्णीत
11	पैरा 14(डी)	अनिर्णीत
12	पैरा 14(ई)	अनिर्णीत
13	पैरा 14(एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा 14(एच)	अनिर्णीत
15	पैरा 14(आई)	अनिर्णीत
16	पैरा 14(जे)	अनिर्णीत

17	पैरा 15	अनिर्णीत
18	पैरा 16	अनिर्णीत
19	पैरा 17	अनिर्णीत
20	पैरा 21	अनिर्णीत
21	पैरा 23	अनिर्णीत
22	पैरा 25(सी)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1982 से 03/1983

1	पैरा 9(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(सी)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1983 से 03/1987

1	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(ए)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1989

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत
6	पैरा 16	अनिर्णीत
7	पैरा 17	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1989 से 03/1994

1	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(iii)(जी)	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा 11(iii)	अनिर्णीत
8	पैरा 11(i)(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(i)(क, एच)	अनिर्णीत
10	पैरा 11(ii)(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(iii)(क)	अनिर्णीत

12	पैरा 11(iv)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(iv)(क)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(iv)(क, एच)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(iv)(जी)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(iv)(जी, एच)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(iv)(ए,एन,जी)	अनिर्णीत
18	पैरा 11(v)	अनिर्णीत
19	पैरा 11(v)(क)	अनिर्णीत
20	पैरा 11(v)(क, एच)	अनिर्णीत
21	पैरा 11(v)(जी)	अनिर्णीत
22	पैरा 11(v)(जी, एच)	अनिर्णीत
23	पैरा 11(v)(ए,एन,जी)	अनिर्णीत
24	पैरा 11(vi)(क)	अनिर्णीत
25	पैरा 11(vi)(क,एच)	अनिर्णीत
26	पैरा 11(vii)	अनिर्णीत
27	पैरा 11(vii)(क)	अनिर्णीत
28	पैरा 11(vii)(क,एच)	अनिर्णीत
29	पैरा 11(vii)(जी)	अनिर्णीत
30	पैरा 11(vii)(जी, एच)	अनिर्णीत
31	पैरा 11(vii)(ए, एन, जी)	अनिर्णीत
32	पैरा 11(viii)	अनिर्णीत
33	पैरा 11(xi)	अनिर्णीत
34	पैरा 11(x)(के)	अनिर्णीत
35	पैरा 11(x)(के, एच)	अनिर्णीत
36	पैरा 11(xii)	अनिर्णीत
37	पैरा 11(xii)(के)	अनिर्णीत
38	पैरा 11(xii)(के, एच)	अनिर्णीत
39	पैरा 11(xii)(जी)	अनिर्णीत
40	पैरा 11(xii)(जी, एच)	अनिर्णीत
41	पैरा 11(xiii)(के)	अनिर्णीत
42	पैरा 11(xiii)(के, एच)	अनिर्णीत
43	पैरा 11(xiii)(जी)	अनिर्णीत
44	पैरा 11(xiv)	अनिर्णीत
45	पैरा 11(xv)(के)	अनिर्णीत

46	पैरा 11(xv)(के, एच)	अनिर्णीत
47	पैरा 11(xv)(जी)	अनिर्णीत
48	पैरा 11(xv)(जी, एच)	अनिर्णीत
49	पैरा 11(xv)(ए, एन, जी)	अनिर्णीत
50	पैरा 11(xv) (ch)	अनिर्णीत
51	पैरा 11(xv) (chh)	अनिर्णीत
52	पैरा 11(xvi) (k)	अनिर्णीत
53	पैरा 11(xvi) (kh)	अनिर्णीत
54	पैरा 11(xvi)(g)	अनिर्णीत
55	पैरा 11(xvii)	अनिर्णीत
56	पैरा 11(xviii)	अनिर्णीत
57	पैरा 11(xix)	अनिर्णीत
58	पैरा 11(xx)	अनिर्णीत
59	पैरा 11(xxi)(k)	अनिर्णीत
60	पैरा 11(xxi)(kh)	अनिर्णीत
61	पैरा 11(xxi)(g)	अनिर्णीत
62	पैरा 11(xxi)(gh)	अनिर्णीत
63	पैरा 11(xxi)(ahg)	अनिर्णीत
64	पैरा 11(xxi)(ch)	अनिर्णीत
65	पैरा 11(xxi)(chh)	अनिर्णीत
66	पैरा 11(xxii)(k)	अनिर्णीत
67	पैरा 11(xxii)(kh)	अनिर्णीत
68	पैरा 12(1)(k)	अनिर्णीत
69	पैरा 12(1)(kh)	अनिर्णीत
70	पैरा 12(1)(g)	अनिर्णीत
71	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत
72	पैरा 12(iii)	अनिर्णीत
73	पैरा 12(iv)	अनिर्णीत
74	पैरा 12(v)	अनिर्णीत
75	पैरा 12(vi)	अनिर्णीत
76	पैरा 13	अनिर्णीत
77	पैरा 14	अनिर्णीत
78	पैरा 15(i)	अनिर्णीत
79	पैरा 15(iv)	अनिर्णीत

80	पैरा 15(v)	अनिर्णीत
81	पैरा 15(vi)	अनिर्णीत
82	पैरा 16(i)	अनिर्णीत
83	पैरा 16(iii)(k)	अनिर्णीत
84	पैरा 16(iii)(kh)	अनिर्णीत
85	पैरा 16(iii)(g)	अनिर्णीत
86	पैरा 17(i)	अनिर्णीत
87	पैरा 17(ii)(kh)	अनिर्णीत
88	पैरा 16(iii)(g)	अनिर्णीत
89	पैरा 18	अनिर्णीत
90	पैरा 18(k)	अनिर्णीत
91	पैरा 18(kh)	अनिर्णीत
92	पैरा 19	अनिर्णीत
93	पैरा 20(1)	अनिर्णीत
94	पैरा 20(i)(k)	अनिर्णीत
95	पैरा 20(ii)(kh)	अनिर्णीत
96	पैरा 20(ii)(g)	अनिर्णीत
97	पैरा 20(iii)	अनिर्णीत
98	पैरा 20(iv)	अनिर्णीत
99	पैरा 20(v)(k)	अनिर्णीत
100	पैरा 20(v)(kh)	अनिर्णीत
101	पैरा 20(vi)	अनिर्णीत
102	पैरा 20(vii)(k)	अनिर्णीत
103	पैरा 20(viii)	अनिर्णीत
104	पैरा 20(ix)	अनिर्णीत
105	पैरा 20(ix)(k)	अनिर्णीत
106	पैरा 20(ix)(kh)	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/1997

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(kh)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(kh)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(k)	अनिर्णीत

6	पैरा 5(kh)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(g)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(gh)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(ang)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(ch)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(chh)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(j)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(jh))	अनिर्णीत
14	पैरा 7(ch)	अनिर्णीत
15	पैरा 8(k)	अनिर्णीत
16	पैरा 8(kh)	अनिर्णीत
17	पैरा 9	अनिर्णीत
18	पैरा 10(kh)(i)	अनिर्णीत
19	पैरा 10(kh)(ii)	अनिर्णीत
20	पैरा 10(kh)(iii)	अनिर्णीत
21	पैरा 12	अनिर्णीत
22	पैरा 13	अनिर्णीत
23	पैरा 14	अनिर्णीत
24	पैरा 15(k)	अनिर्णीत
25	पैरा 7(k)	अनिर्णीत
26	पैरा 7(ang)	अनिर्णीत
27	पैरा 15(kh)(i)	अनिर्णीत
28	पैरा 15(kh)(iii)	अनिर्णीत
29	पैरा 15(kh)(iv)	अनिर्णीत
30	पैरा 15(kh)(v)	अनिर्णीत
31	पैरा 15(kh)(vi)	अनिर्णीत
32	पैरा 15(kh)(vii)	अनिर्णीत
33	पैरा 16	अनिर्णीत
34	पैरा 17(k)(i)	अनिर्णीत
35	पैरा 17(k)(ii)	अनिर्णीत
36	पैरा 17(k)(iii)	अनिर्णीत
37	पैरा 17(k)(iv)	अनिर्णीत
38	पैरा 17(kh)(i)	अनिर्णीत
39	पैरा 17(kh)(ii)	अनिर्णीत

40	पैरा 17(kh)(iii)	अनिर्णीत
41	पैरा 17(kh)(iv)	अनिर्णीत
42	पैरा 17(g)(i)	अनिर्णीत
43	पैरा 17(g)(ii)	अनिर्णीत
44	पैरा 17(g)(iii)	अनिर्णीत
45	पैरा 17(gh)(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 17(gh)(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 17(gh)(iii)	अनिर्णीत
48	पैरा 17(gh)(iv)	अनिर्णीत
49	पैरा 17(ang)(i)	अनिर्णीत
50	पैरा 17(ang)(ii)	अनिर्णीत
51	पैरा 17(ang)(iii)	अनिर्णीत
52	पैरा 17(ang)(iv)	अनिर्णीत
53	पैरा 17(ang)(v)	अनिर्णीत
54	पैरा 17(ang)(vi)	अनिर्णीत
55	पैरा 17(ch)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 17(ch)(ii)	अनिर्णीत
57	पैरा 17(ch)(iii)	अनिर्णीत
58	पैरा 17(ch)(iv)	अनिर्णीत
59	पैरा 17(chh)(i)	अनिर्णीत
60	पैरा 17(chh)(ii)	अनिर्णीत
61	पैरा 21(k)	अनिर्णीत
62	पैरा 21(kh)	अनिर्णीत
63	पैरा 21(g)	अनिर्णीत
64	पैरा 21(gh)	अनिर्णीत
65	पैरा 22	अनिर्णीत
66	पैरा 24(kh)	अनिर्णीत
67	पैरा 24(g)	अनिर्णीत
68	पैरा 24(j)	अनिर्णीत
69	पैरा 24(yen)	अनिर्णीत
70	पैरा 25	अनिर्णीत
71	पैरा 26(iv)	अनिर्णीत
72	पैरा 26(v)	अनिर्णीत
73	पैरा 26(vi)	अनिर्णीत

74	पैरा 26(vii)	अनिर्णीत
75	पैरा 26(viii)	अनिर्णीत
76	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत
77	पैरा 26(x)	अनिर्णीत
78	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत
79	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत
80	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत
81	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत
82	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत
83	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत
84	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत
85	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत
86	पैरा 26(x)	अनिर्णीत
87	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत
88	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत
89	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत
90	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत
91	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत
92	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत
93	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत
94	पैरा 26(xix)	अनिर्णीत
95	पैरा 26(xx)	अनिर्णीत
96	पैरा 26(xxi)	अनिर्णात
97	पैरा 26(xxiii)	अनिर्णीत
98	पैरा 26(xxiv)	अनिर्णीत
99	पैरा 28	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1997 से 03/2005

1	पैरा 3(kh)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(gh)(i)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(gh)(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत

7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10(i)	अनिर्णीत
9	पैरा 10(k)	अनिर्णीत
10	पैरा 10(kh)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
12	पैरा 11(k)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(kh)(i)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(kh)(ii)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(kh)(iii)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(kh)(iv)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(kh)(v)	अनिर्णीत
18	पैरा 11(kh)(vi)	अनिर्णीत
19	पैरा 11(kh)(vii)	अनिर्णीत
20	पैरा 11(kh)(viii)	अनिर्णीत
21	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत
22	पैरा 11(kh)(x)	अनिर्णीत
23	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत
24	पैरा 11(kh)(xii)	अनिर्णीत
25	पैरा 11(kh)(xiii)	अनिर्णीत
26	पैरा 11(kh)(xiv)	अनिर्णीत
27	पैरा 11(kh)(xv)	अनिर्णीत
28	पैरा 11(kh)(xvi)	अनिर्णीत
29	पैरा 11(kh)(xvii)	अनिर्णीत
30	पैरा 11(kh)(xviii)	अनिर्णीत
31	पैरा 11(kh)(xix)	अनिर्णीत
32	पैरा 11(g)(i)	अनिर्णीत
33	पैरा 11(g)(ii)	अनिर्णीत
34	पैरा 11(chh)	अनिर्णीत
35	पैरा 11(ang)	अनिर्णीत

36	पैरा 11(ch)	अनिर्णीत
37	पैरा 12(i)	अनिर्णीत
38	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत
39	पैरा 13	अनिर्णीत
40	पैरा 14	अनिर्णीत
41	पैरा 15	अनिर्णीत
42	पैरा 16	अनिर्णीत
43	पैरा 17	अनिर्णीत
44	पैरा 18(k)	अनिर्णीत
45	पैरा 18(kh)(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 18(kh)(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 18(g)(i)	अनिर्णीत
48	पैरा 18(g)(ii)	अनिर्णीत
49	पैरा 18(gh)(i) & (ii)	अनिर्णीत
50	पैरा 18(ang)	अनिर्णीत
51	पैरा 18(ch)	अनिर्णीत
52	पैरा 18(chh)(i)	अनिर्णीत
53	पैरा 18(chh)(ii)	अनिर्णीत
54	पैरा 18(j)	अनिर्णीत
55	पैरा 18(j)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 18(nh)	अनिर्णीत
57	पैरा 18(t)(i)	अनिर्णीत
58	पैरा 18(t)(ii)	अनिर्णीत
59	पैरा 18(th)	अनिर्णीत
60	पैरा 18(dh)(i)	अनिर्णीत
61	पैरा 18(dh)(ii)	अनिर्णीत
62	पैरा 18(dh)(iii)	अनिर्णीत
63	पैरा 18(adn)(i)	अनिर्णीत

64	पैरा 18(adn)(ii)	अनिर्णीत
65	पैरा 18(adn)(iii)	अनिर्णीत
66	पैरा 18(anh)(i)	अनिर्णीत
67	पैरा 18(anh)(ii)	अनिर्णीत
68	पैरा 18(t)	अनिर्णीत
69	पैरा 18(n)	अनिर्णीत
70	पैरा 18(p)	अनिर्णीत
71	पैरा 18(ph)	अनिर्णीत
72	पैरा 18(b)	अनिर्णीत
73	पैरा 19(kh)	अनिर्णीत
74	पैरा 19(g)	अनिर्णीत
75	पैरा 19(gh)(i)	अनिर्णीत
76	पैरा 19(gh)(ii)	अनिर्णीत
77	पैरा 19(gh)(iii)	अनिर्णीत
78	पैरा 19(ang)	अनिर्णीत
79	पैरा 19(ch)	अनिर्णीत
80	पैरा 19(chh)(i)	अनिर्णीत
81	पैरा 19(chh)(ii)	अनिर्णीत
82	पैरा 19(chh)(iii)	अनिर्णीत
83	पैरा 19(chh)(iv)	अनिर्णीत
84	पैरा 19(j)(i)	अनिर्णीत
85	पैरा 19(j)(ii)	अनिर्णीत
86	पैरा 19(j)(iii)	अनिर्णीत
87	पैरा 19(jh)	अनिर्णीत
88	पैरा 19(jh)(ii)	अनिर्णीत
89	पैरा 19(jh)(iii)	अनिर्णीत
90	पैरा 20(k)	अनिर्णीत
91	पैरा 20(kh)	अनिर्णीत

92	पैरा 20(g)	अनिर्णीत
93	पैरा 20(gh)	अनिर्णीत
94	पैरा 20(ch)	अनिर्णीत
95	पैरा 20(ch)(i)	अनिर्णीत
96	पैरा 20(ch)(ii)	अनिर्णीत
97	पैरा 20(ch)(iii)	अनिर्णीत
98	पैरा 20(ch)(iv)	अनिर्णीत
99	पैरा 20(ch)(v)	अनिर्णीत
100	पैरा 20(ch)(vi)	अनिर्णीत
101	पैरा 20(ch)(vii)	अनिर्णीत
102	पैरा 21(i)	अनिर्णीत
103	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
104	पैरा 22(kh)	अनिर्णीत
105	पैरा 23(g)	अनिर्णीत
106	पैरा 23(k)	अनिर्णीत
107	पैरा 23(kh)	अनिर्णीत
108	पैरा 23(g)	अनिर्णीत
109	पैरा 23(gh)(i)	अनिर्णीत
110	पैरा 23(ch)(i)	अनिर्णीत
111	पैरा 23(chh)	अनिर्णीत
112	पैरा 23(j)	अनिर्णीत
113	पैरा 23(jh)	अनिर्णीत
114	पैरा 23(anh)	अनिर्णीत
115	पैरा 23(t)	अनिर्णीत
116	पैरा 24(k)	अनिर्णीत
117	पैरा 24(kh)	अनिर्णीत
118	पैरा 24(g)	अनिर्णीत
119	पैरा 25(i)	अनिर्णीत

120	पैरा 25(iii)	अनिर्णीत
121	पैरा 26(k)	अनिर्णीत
122	पैरा 26(kh)	अनिर्णीत
123	पैरा 26(g)	अनिर्णीत
124	पैरा 26(gh)	अनिर्णीत
125	पैरा 26(ang)	अनिर्णीत
126	पैरा 26(ch)	अनिर्णीत
127	पैरा 26(chh)	अनिर्णीत
128	पैरा 27	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2007

1	पैरा 2	अनिर्णीत	
2	पैरा 3(क) से (ड़)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णित/समाप्त
3	पैरा 4(ए)	निर्णीत	सम्बन्धित अभिलेख से वस्तु स्थिति का अवलोकन करने पर त्रुटियों का समाधान व चूककर्ता से राशि की वसूली करने पर निर्णित
4	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(सी)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(डी)(i)	अनिर्णीत	
8	परा 4(एफ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 4(जी)	अनिर्णीत	
10	पैरा 5	निर्णीत	(उपमण्डल मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार सेवा अभिलेख में त्रुटि सुधार करने पर निर्णीत)
11	पैरा 6(i)	अनिर्णीत	
12	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
13	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत	
14	पैरा 6(v)	अनिर्णीत	(अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा प्रदान अपेक्षित प्रमाण पत्र के अवलोकन पर निर्णीत)
15	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत	
16	पैरा 6(x)(b)	अनिर्णीत	

17	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत	
18	पैरा 6(xii)	अनिर्णीत	
19	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत	
20	पैरा 7(i)	अनिर्णीत	
21	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत	
22	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत	
23	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत	
24	पैरा 7(v)	अनिर्णीत	
25	पैरा 8(i)	अनिर्णीत	
26	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत	

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत)
2	पैरा 4, 4.1 & 4.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
3	पैरा 4.3	अनिर्णीत	
4	पैरा 4.4	अनिर्णीत	
5	पैरा 4.5	अनिर्णीत	
6	पैरा 5	अनिर्णीत	
7	पैरा 6	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
8	पैरा 6.1	अनिर्णीत	
9	पैरा 6.2	अनिर्णीत	
10	पैरा 6.2.1	अनिर्णीत	
11	पैरा 6.2.2	अनिर्णीत	
12	पैरा 6.3	निर्णीत	(मांग व वसूली रजिस्टर में प्राप्त किराये की प्रविष्टि करने पर निर्णीत)
13	पैरा 6.4	निर्णीत	(गलती के समाधान उपरान्त किराये की देय राशि की मांग पुनः उठाने पर निर्णीत)
14	पैरा 6.5	अनिर्णीत	
15	पैरा 6.6	निर्णीत	(अंकेक्षण के सुझावानुसार मोबाइल टावर शुल्क रजिस्टर का अनुरक्षण करने पर निर्णीत)
16	पैरा 6.7	अनिर्णीत	
17	पैरा 6.8	अनिर्णीत	

18	पैरा 6.9	निर्णीत	(वर्णित राशि की सम्बन्धित पक्ष से वसूली करने पर निर्णीत)
19	पैरा 6.10	अनिर्णीत	
20	पैरा 6.11	अनिर्णीत	
21	पैरा 6.12	निर्णीत	(वर्णित राशि को नगर पंचायत के यूको बैंक बचत खाते में जमा करने पर निर्णीत)
22	पैरा 7	अनिर्णीत	
23	पैरा 7, 7.1.1 & 7.1.2	अनिर्णीत	
24	पैरा 7.2 to 7.2.3	अनिर्णीत	
25	पैरा 7.3	अनिर्णीत	
26	पैरा 8	निर्णीत	(वर्णित राशि की सम्बन्धित पक्ष से वसूली करने पर निर्णीत)
27	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
28	पैरा 8.2	निर्णीत	(सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्रुटि का आवश्यक समाधान करने पर निर्णीत)
29	पैरा 8.3	अनिर्णीत	
30	पैरा 8.3.1	अनिर्णीत	
31	पैरा 8.3.2	अनिर्णीत	
32	पैरा 8.4	अनिर्णीत	
33	पैरा 8.5	अनिर्णीत	
34	पैरा 8.6	अनिर्णीत	
35	पैरा 8.7	अनिर्णीत	
36	पैरा 8.8	अनिर्णीत	
37	पैरा 8.9	अनिर्णीत	
38	पैरा 8.9.1	अनिर्णीत	
39	पैरा 8.9.2	अनिर्णीत	
40	पैरा 8.9.3	निर्णीत	(वाहन की लाग बुक में आवश्यक इन्द्राज की सत्यापना करने पर निर्णीत)
41	पैरा 8.9.4	अनिर्णीत	

42	पैरा 8.9.5	निर्णीत	(सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान व्यय स्वीकृति के अवलोकन करने पर निर्णीत)
43	पैरा 8.10	अनिर्णीत	
44	पैरा 8.10.1	निर्णीत	(अंकेक्षण के सुझावानुसार कार्यवाही करने पर निर्णीत)
45	पैरा 9	अनिर्णीत	
46	पैरा 9.1	निर्णीत	(वर्णित राशि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करने पर निर्णीत)
47	पैरा 9.2	निर्णीत	(अंकेक्षण के सुझावानुसार कृत कार्यवाही की सत्यापना करने पर निर्णीत)
48	पैरा 9.3	अनिर्णीत	
49	पैरा 9.4	अनिर्णीत	(वर्णित राशि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करने पर निर्णीत)
50	पैरा 10	अनिर्णीत	
51	पैरा 10.1	अनिर्णीत	(वर्णित राशि को पंचायत निधि से पेंशन व उपदान निधि में हस्तांतरित करने पर निर्णीत)
52	पैरा 10.2	अनिर्णीत	
53	पैरा 11	निर्णीत	(अंकेक्षण के सुझावनुसार कृत कार्यवाही की सत्यापना करने पर निर्णीत)
54	पैरा 11.1	अनिर्णीत	
55	पैरा 12	निर्णीत	(अंकेक्षण आपत्ति अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने पर निर्णीत)